पांचवीं वार्षिक रिपोर्ट १९८०-८१

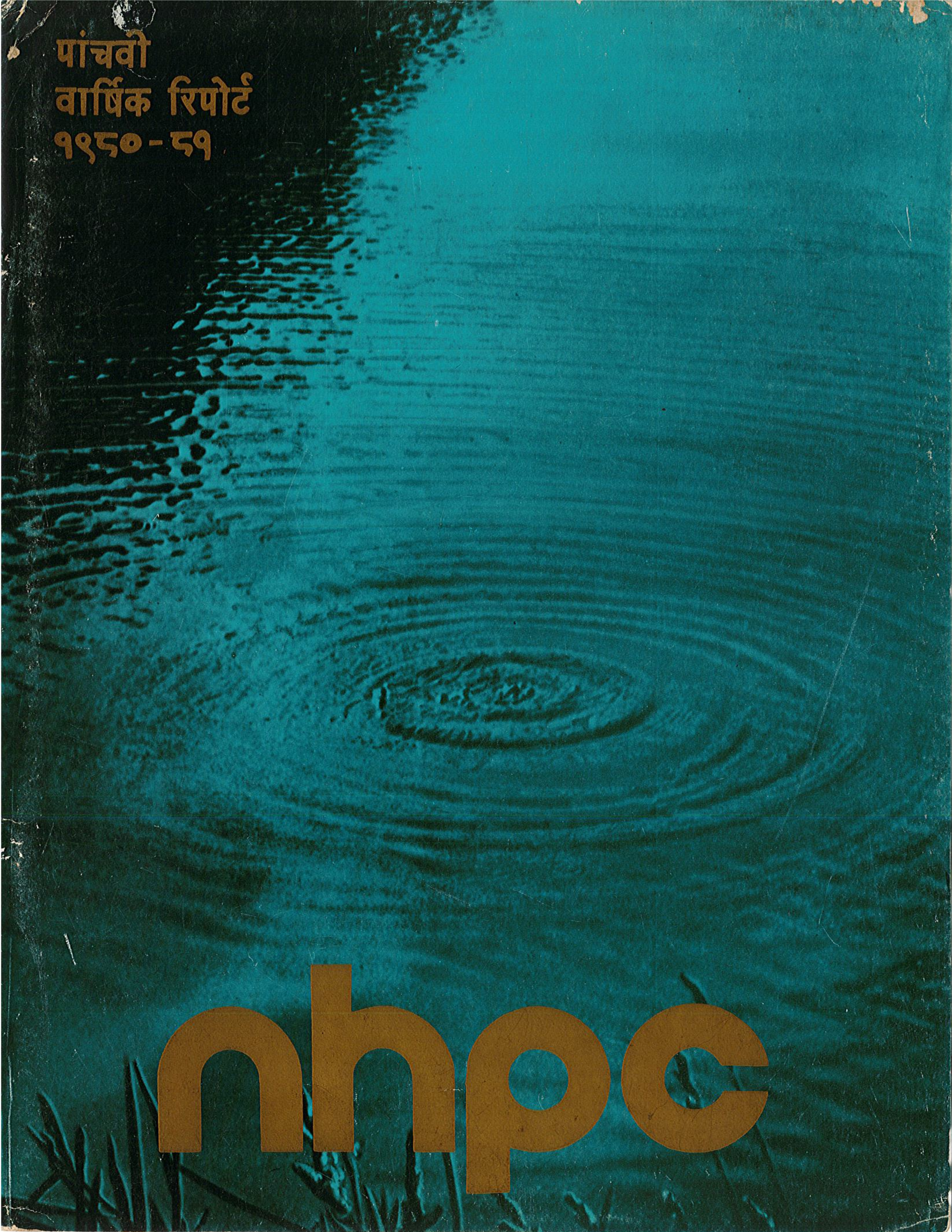

nhpc

विषय सूची :

	पृष्ठ
निदेशक बोर्ड	2
नोटिस	3
अध्यक्षीय भाषण	4
निदेशकों की रिपोर्ट	7
लेखे	44
लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट	75
भारत के नियंत्रक व महालेखा-परीक्षक की टिप्पणियां	79

निदेशक बोर्ड

अध्यक्ष व प्रबन्ध निदेशक	मेजर जनरल टी० वी० जगन्नाथन (12-6-1980 तक) श्री पी०एम० बेलिअप्पा (13-6-1980 से)
निदेशकगण	श्री वी० सुब्रामनियन श्री एस०एन०रॉय (19-5-1980 तक) श्री ए०एन० सिंह श्री डी० राजागोपालन
सचिव	श्री एन०वी० रामन
लेखा परीक्षक	मैसर्स आर०के०खन्ना एण्ड कं० बी० 7/3 आसफ अली रोड, नई दिल्ली-110002
बैंकर्स	स्टेट बैंक आफ इण्डिया
पंजीकृत कार्यालय	"मंजूषा" 57, नेहरू प्लेस, नई दिल्ली-110019

नोटिस :

सूचित किया जाता है कि नैशनल हाइड्रोइलैक्ट्रिक पावर कारपोरेशन लि० की पाँचवी वार्षिक साधारण बैठक निम्नलिखित कार्य करने के लिए बुद्धवार, 30 सितम्बर, 1981 को दोपहर 12.00 बजे निगम के पंजीकृत कार्यालय "मंजूषा" 57, नेहरू प्लेस, नई दिल्ली-110019 में होगी :

सामान्य कार्य :

31-3-1981 को समाप्त वर्ष के लिए निगम के लेखा परीक्षित लेखों, लेखा-परीक्षकों की रिपोर्ट तथा उस पर निदेशकगण की रिपोर्ट सहित, को प्राप्त एवं स्वीकार करना ।

नैशनल हाइड्रोइलैक्ट्रिक पावर कारपोरेशन लि०
के निदेशकों के बोर्ड के आदेश से

(एन०वी० रामन)
कम्पनी सचिव

नई दिल्ली
दिनाँक 2 सितम्बर, 1981

नोट : कोई भी सदस्य जिसे बैठक में उपस्थित होने व मत देने का अधिकार है, अपने स्थान पर किसी अन्य व्यक्ति को परोक्षी के रूप में बैठक में उपस्थित होने व मत देने का अधिकार दे सकता है । परोक्षी का कम्पनी का सदस्य होना आवश्यक नहीं है ।

सेवा में,

1. नैशनल हाइड्रोइलैक्ट्रिक पावर कारपोरेशन लि० के सभी शेयरधारी ।
2. मैसर्स आर०के०खन्ना एण्ड कं०,
   चार्टर्ड एकाउंटेंट्स,
   बी-7/3, आसफ अली रोड,
   नई दिल्ली-110002.

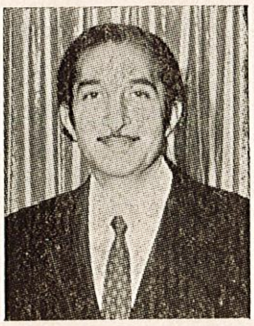

अध्यक्षीय भाषण

सज्जनों,

मुझे नैशनल हाइड्रोइलैक्ट्रिक पावर कारपोरेशन लि० की पांचवी साधारण वार्षिक बैठक में आपका स्वागत करते हुए बड़ी प्रसन्नता हो रही है। 1980-81 से सम्बंधित निगम के लेखा परीक्षित लेखे तथा निदेशक वर्ग की रिपोर्ट एवं लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट आपके विचारार्थ और स्वीकारार्थ प्रस्तुत है।

2. जब हम लोग पिछले वर्ष मिले थे, तब मैंने सरकार के इस अभिप्राय और इच्छा की ओर संकेत किया था कि देश के जल-विद्युत साधनों को काम में लाने पर अधिक बल दिया जाना चाहिए। इस निदेश के अनुपालन में, नैशनल हाइड्रोइलैक्ट्रिक पावर कारपोरेशन अपनी भूमिका बखूबी बड़े पैमाने पर निभा रहा है। आलोच्य वर्ष के दौरान, नैशनल हाइड्रोइलैक्ट्रिक पावर कारपोरेशन, जल-विद्युत विकास के क्षेत्र में बड़ी चुनौतियों का सामना करने की दिशा में एक विकासक्षम और स्पन्दनशील संगठन के रूप में उभर कर सामने आया है। समयबद्ध आधार पर परियोजनाओं के निष्पादन में वचनबद्धता के साथ-साथ, इसने एक सुदृढ़, संश्लिष्ट बहु-अनुशासनात्मक टीम खड़ी की है।

3. आपको यह जानकर खुशी होगी कि बैरा बांध पूरा हो गया है और इसके फलस्वरूप निर्धारित समय से छः महीने पूर्व ही इस परियोजना से बिजली मिलने का लाभ प्राप्त होने लगेगा। इस अवसर का लाभ उठाते हुए, इस महान कार्य की उपलब्धि के लिए बैरा स्यूल परियोजना के कामगारों, कर्मचारियों और अधिकारियों को मैं अपनी ओर से तथा आप सभी लोगों की ओर से बधाई देना चाहता हूँ।

4. इसी प्रकार, लोकतक में सुरंग के बोरिंग का कार्य, जो एक बहुत ही नाजुक कार्य था, अब पूरा होने वाला है और मुझे विश्वास है कि यदि कोई अप्रत्याशित भूगर्भीय अड़चन पैदा नहीं हुई तो सुरंग के बोरिंग का कार्य निर्धारित समय के अनुसार इस वर्ष अक्टूबर के अन्त तक पूरा हो जाएगा। आपको यह जानकर दुःख होगा कि हाल ही में मणिपुर में पीपुल्स लिबरेशन आर्मी के सदस्यों द्वारा परियोजना पर छिपकर आक्रमण किया गया, जिसमें नैशनल हाइड्रोइलैक्ट्रिक पावर कारपोरेशन के तीन कार्मिकों की जानें गई। मैं इन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और इनके समर्पित कार्य के प्रति अपनी प्रशंसा को रिकार्ड पर लाना चाहता हूं। इस दुखद विषय के प्रसंग में, मैं अफसोस के साथ श्री ए०वी० मोटवानी के निधन की सूचना देता हूं। आप सभी जानते हैं कि वे एक लम्बे अरसे से नैशनल हाइड्रोइलैक्ट्रिक परियोजनाओं से सम्बद्ध रहे थे। वे यद्यपि कुछ समय के लिए अस्वस्थ रहे, पर उनका अन्त अचानक आ गया, जिससे हम सभी को आश्चर्य हुआ। कारपोरेशन के प्रति उनकी निष्ठावान सेवाओं के लिए अपनी प्रशंसा को भी मैं रिकार्ड पर लाना चाहूंगा।

5. देवीघाट परियोजना की प्रगति बहुत बढ़िया रही है और सभी संकेतों से मालूम होता है कि परियोजना निर्धारित समय से पहले ही चालू हो जाएगी। सलाल परियोजना, जो इन सभी वर्षों में एक बड़ा प्रश्न चिन्ह बनी हुई थी, अब सही एवं गतिशील मार्ग पर चल पड़ी है और यदि कोई अप्रत्याशित व्यवधान खड़ा नही हुआ तो नदी के स्थायी मोड़ का काम नवम्बर, 1981 और जून, 1982 के बीच पूरा हो जाएगा। ये सभी महत्वपूर्ण उपलब्धियाँ विधिवत् एवं नियमित ढंग से परियोजनाओं के निकट मॉनिटरिंग के कारण सम्भव हुई हैं। इस प्रक्रिया के द्वारा बहुत सी रुकावटें दूर हो गई हैं।

6. स्वाभाविक है कि आप लोग नई परियोजनाओं की प्रगति जानना चाहेंगे। नैशनल हाइड्रोइलैक्ट्रिक पावर कारपोरेशन के माध्यम से केन्द्रीय क्षेत्र में जम्मू व काश्मीर में दुलहस्ती (390 मेगावाट) और बिहार में कोयल कारो (710 मेगावाट) के निष्पादन के संबंध में भारत सरकार को अनुमति प्राप्त हो चुकी है। इन दोनों

परियोजनाओं में मुख्य इंजीनियरों ने अपने अपने स्थान पर कार्यभार संभाल लिया है। हमेशा की तरह प्रारम्भिक समस्याएं रही हैं और क्रमबद्ध और गतिपूर्ण ढंग से अभी कार्य चलना है। फिर भी आशंका की कोई बात नहीं। मुझे विश्वास है कि अगले छः महीनों में इन समस्याओं को निबटा दिया जायगा और अगले वित्तीय वर्ष में इन दोनों स्थानों पर कामों की चहल-पहल हो जाएगी। इस बीच, उपकरण, ठेकेदारी, जल-शक्ति और निर्माण संबंधी समय निर्धारण के बारे में सभी प्रकार की आयोजना और पूर्व-कार्रवाई की जा रही है।

7. अन्वेषण के क्षेत्र में नैशनल हाइड्रोइलैक्ट्रिक पावर कारपोरेशन का पदार्पण एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। पहली बार, नैशनल हाइड्रोइलैक्ट्रिक पावर कारपोरेशन ने परियोजनाओं के अन्वेषण का कार्य अपने हाथ में लिया है और हिमाचल प्रदेश में चमेरा जल-विद्युत परियोजना (लगभग 500 मेगावाट) से शुरूआत की है। इस परियोजना का अन्वेषण मैसर्स एस०एन०सी० नाम की कनेडा की एक सलाहकार फर्म के सहयोग से किया जा रहा है। इस परियोजना में आधुनिकतम भू-भौतिकीय और अन्य तकनीकों को अपनाया जा रहा है और एक पूरी बहु-अनुशासनात्मक प्रणाली की व्यवस्था की गई है। मैं आशावान हूँ कि इस वर्ष के अन्त तक सम्भाव्यता-रिपोर्ट उपलब्ध हो जाएगी जो अपने आप में एक कीर्तिमान होगी। हिमाचल प्रदेश में कोल डैम परियोजना के अन्वेषण को हाथ में लेने के लिए भी स्वीकृति प्राप्त हो गई है। लेकिन बाद की कुछ घटनाओं के कारण इस मामले को उत्साहपूर्ण ढंग से आगे नहीं बढ़ाया गया। ऐसी आशा है कि उत्तर-प्रदेश (शारदा घाटी) में धौली गंगा परियोजना, मिजोरम में धालेश्वरी परियोजना के अन्वेषण को हाथ में लेने के लिए स्वीकृति शीघ्र प्राप्त हो जायेगी। तीस्ता हाई डैम परियोजना के अन्वेषण को हाथ में लेने के संबंध में पश्चिमी बंगाल की सरकार के साथ विचार-विमर्श चल रहा है। अन्वेषण के क्षेत्र में इस बढ़ते हुए कार्यभार के कारण एक मुख्य इंजीनियर के अन्तर्गत एक अन्वेषण विंग कायम करने की आवश्यकता पड़ गई है। कारपोरेशन के तत्वाधान में ही बहु-अनुशासनात्मक क्षमता के निर्माण किए जाने की समग्र नीति के अंग के रूप में नैशनल हाइड्रोइलैक्ट्रिक पावर कारपोरेशन ने एक भू-विज्ञान विंग का तंत्र भी खड़ा किया है।

8. माननीय ऊर्जा मंत्री, श्री ए० बी० ए० ग़नी खान चौधरी हमारी शक्ति के बड़े स्रोत बने रहे हैं और माननीय ऊर्जा राज्य मंत्री, श्री विक्रम महाजन भी कारपोरेशन के कार्य-कलापों में गहरी दिलचस्पी दिखाते रहे हैं। यह हमारे लिए प्रोत्साहन का बहुत बड़ा स्रोत सिद्ध हुआ है। मैं श्री टी०आर० सतीशचन्द्रन का स्वागत करता हूँ जिन्होंने ऊर्जा मंत्रालय में सचिव का पद-भार ग्रहण किया है। हम लोग उनके मार्ग-दर्शन की अपेक्षा करते हैं। वित्त मंत्रालय, योजना आयोग, केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण और केन्द्रीय जल आयोग तथा अन्य एजेंसियों ने जिनके साथ हमारा संबंध रहा है, हमारी काफी सहायता की है। उनके इस सहयोग के लिए मैं उनके प्रति आभार व्यक्त करता हूं। मैं विभिन्न राज्य सरकारों से प्राप्त बराबर और निकट के सहयोग को भी रिकार्ड पर लाना चाहता हूँ।

9. यह उल्लेख करते हुए मुझे प्रसन्नता हो रही है कि नैशनल हाइड्रोइलैक्ट्रिक पावर कारपोरेशन ने अपनी स्थापना के समय से अब तक और विशेष कर आलोच्य अवधि में काफी प्रगति की है। आगे के महीने क्रिया-कलाप, क्रमबद्ध कार्य, सफलता और कुछ परियोजनाओं के चालू किए जाने वाले महीने होंगे। इस संगठन को चलाने की अवधि में मुझे आप लोगों से जो मार्ग-दर्शन और सहयोग मिला है, उसके लिए मैं आप सभी का आभारी हूं। मैं अपने सहयोगियों के प्रति उनके निष्ठावान सेवा और सहयोग के लिए आभार व्यक्त करता हूँ क्योंकि बगैर उसके हमें इतनी सफलता हाथ न लगती।

पी.एम. बेलिअप्पा

नई दिल्ली
30 सितम्बर, 1981

पी०एम० बेलिअप्पा
अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक

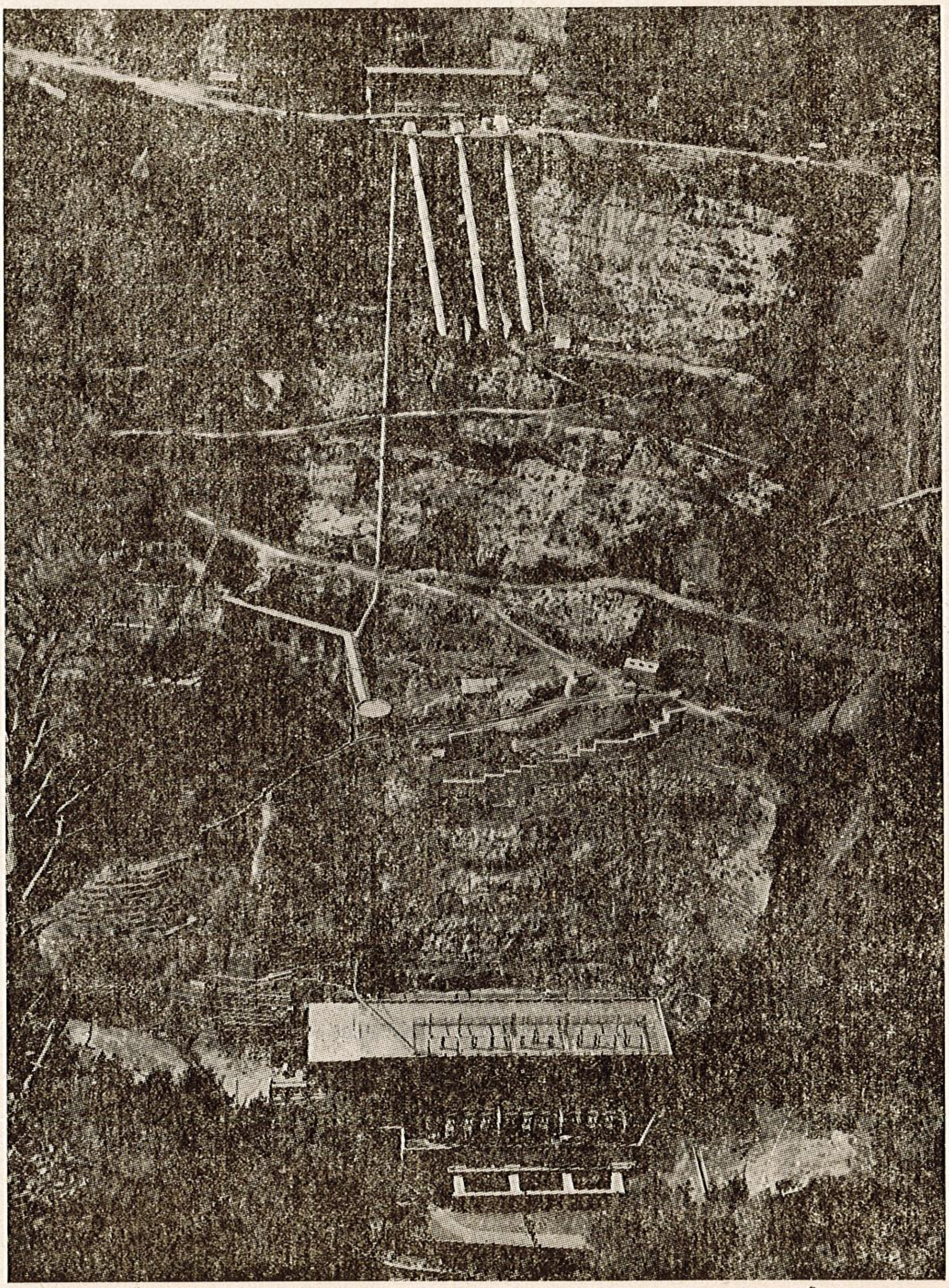

पैनस्टाकों, पावर हाउस, वाल्व हाउस तथा स्विचयार्ड (बैरा स्यूल) का सम्पूर्ण दृश्य

शेयरधारियों को सम्बोधित निदेशकों की रिपोर्ट

सज्जनों,

निदेशकों की ओर से कारपोरेशन के कार्य-कलापों की पाँचवी वार्षिक रिपोर्ट आपको प्रस्तुत करते हुए मुझे अत्यन्त प्रसन्नता हो रही है। इसमें 31 मार्च, 1981 को समाप्त हुए वर्ष का परीक्षित लेखा शामिल है।

2. क्रिया-कलाप :

(1) जल-विद्युत परियोजनाएँ :

इस वर्ष के दौरान, आपके कारपोरेशन ने लोकतक, बैरा स्यूल, सलाल और देवीघाट जल-विद्युत परियोजनाओं का कार्य जारी रखा। कारपोरेशन ने भारत सरकार की ओर से एजेंसी आधार पर सलाल परियोजना के कार्य को जारी रखा।

(2) ट्रांसमिशन लाइनें :

कारपोरेशन ने राज्य सरकारों/नैशनल थर्मल पावर कारपोरेशन की ओर से विभिन्न ट्राँसमिशन लाइनों से सम्बन्धित अपना कार्य जारी रखा। इसके अतिरिक्त, कारपोरेशन द्वारा परियोजनाओं की कुछ सम्बद्ध लाइनों का कार्य भी जारी रहा।

3. नए हस्तगत कार्य :

रिपोर्ट के अधीन का वर्ष कारपोरेशन के कारोबार में विस्तार का वर्ष सिद्ध हुआ। आपके कारपोरेशन के कार्य-भार में ठोस वृद्धि हुई। कारपोरेशन को अन्वेषण/निष्पादन के लिए जो नई परियोजनाएँ सौंपी गई, वे निम्न प्रकार हैं :—

निष्पादन :

1) जम्मू व काश्मीर में दुलहस्ती जल-विद्युत परियोजना 390 मे०वा०
2) बिहार में कोयल कारो जल विद्युत परियोजना 710 मे०वा०
3) जम्मू व काश्मीर में उरी जल परियोजना 480 मे०वा०

अन्वेषण :

हिमाचल प्रदेश में

4) कोल डैम जल-विद्युत परियोजना 600 मे.वा.
5) चमेरा जल-विद्युत परियोजना 640 मे.वा.
6) पार्वती जल-विद्युत परियोजना 1900 मे.वा.

उत्तर प्रदेश में

7) धौली गंगा जल-विद्युत परियोजना 455 मे.वा.
8) पूर्वी रामगगा जल-विद्युत परियोजना 90 मे.वा.
9) गोरी गंगा जल-विद्युत परियोजना 120 मे.वा.
10) टनकपुर जल-विद्युत परियोजना 100 मे.वा.

4. कार्य निष्पादन की प्रमुख बातें :

1980-81 का वर्ष कारपोरेशन के कार्य-कलापों में लगातार वृद्धि का वर्ष रहा। वर्ष के दौरान कारपोरेशन ने जल-विद्युत परियोजनाओं/ट्रांसमिशन लाइनों का जो काम हाथ में लिया, उसमें कुछ सीमाचिन्ह स्थापित किए गए जो संक्षेप में नीचे दिए गए हैं :—

(i) लोकतक जल-विद्युत परियोजना :

जून, 1980 में नाजुक फेस IV और V में 129.9 मी० प्रति मास की रिकार्ड बोरिंग की गई। अक्टूबर, 1981 में पहुंच क्षेत्र में सुरंग की बोरिंग को पूरा कर लेने का कार्यक्रम है और नवीनतम लगातार छिड़काव तकनीक का उपयोग करके लाइनिंग करने की योजना है।

(ii) बैरा-स्यूल जल-विद्युत परियोजना :

आवश्यक मरम्मत के बाद और स्यूल नदी में जैसे

ही पर्याप्त जल उपलब्ध रहा, यूनिट I और II को फिर से चालू किया गया।

(iii) सलाल जल-विद्युत परियोजना :

मूल कार्यक्रम में दिए गए प्रस्ताव से पूर्व ही नदी डाइवर्शन को पूरा करके निर्माण कार्यक्रम को संक्षेप करने की दृष्टि से नदी के आर-पार एक डाइवर्शन डाइक का निर्माण 1980-81 के कार्य-मौसम में किया गया। इससे इम्बेमेंट क्षेत्र में खुदाई करने और 2.5 मी० मोटा मैण्टल डालकर पावर बांध ब्लॉकों के प्रति स्त्रोत के उपचार में सहायता मिली।

खुदाई का काम पूरा हो गया है और ई०एल० 408 मी. तक कंक्रीट डालने का काम पूरा कर लिया गया है। इस आयोजना से ओवर-फ्लो टाइप डाइक के निर्माण से मुक्ति मिल गई और इसके फलस्वरूप जहाँ निर्माण कार्यक्रम में संक्षेप हुआ है, ओवर फ्लो टाइप काफर बांध के संबंध में 3 करोड़ रुपये की बचत भी हुई है।

(iv) देवीघाट जल-विद्युत परियोजना :

सितम्बर, 1980 तक परियोजना प्राधिकारियों को नदी के दाहिने किनारे पर मुख्य कॉम्पलेक्स के लिए जमीन अधिकांशतः सुपुर्द कर दी गई और इसके साथ ही अक्टूबर, 1980 से परियोजना के निर्माण-कार्यो के निर्माण का काम शुरू किया गया।

(v) ट्रांसमिशन लाइनें :

1980-81 वर्ष के दौरान निम्न ट्रांसमिशन लाइनें पूरी की गई :

(क) गंगतोक से कालिम्पोंग तक 66 के. वी. डबल सर्किट ट्राँसमिशन लाइन।

(ख) रामनगर से गण्डक तक 132 के.वी सिंगल सर्किट ट्रांसमिशन लाइन

(ग) सरना से दसूया तक डबल सर्किट टॉवर पर 220 के. वी. सिंगल सर्किट ट्रांसमिशन लाइन।

5. चल रहे निर्माण कार्यों में हुई प्रगति :

(क) लोकतक जल-विद्युत परियोजनाः (3 × 35मे.वा.)

लोकतक जल विद्युत परियोजना में प्रस्तावित विभिन्न निर्माण-कार्य उनकी वर्तमान स्थिति तथा शेष निर्माण-कार्यों को पूरा किए जाने के संबंध में कार्यक्रम का उल्लेख नीचे किया जाता है :—

(1) इथाई बैराज :

निर्धारित समय के अनुसार जून, 1980 में बैराज को पूरा कर लिया है और यह चालू होने वाला है।

(2) खुली चैनल :

संशोधित निर्माण कार्य समेत चैनल पूरा कर लिया गया है।

(3) कट और कवर भाग :

इस भाग में 1077 मीटर की कुल लम्बाई में से 1069.5 मीटर लम्बाई वर्ष के अन्त तक पूरी की जा चुकी है। ठेकेदार, एन.पी.सी.सी. लि. के कामगारों द्वारा की गई हड़ताल के कारण कार्य की प्रगति में बाधा पड़ी।

(4) हैडरेस सुरंग :

इस परियोजना को पूरा करने में हैडरेस सुरंग बनाने का कार्य एक नाजुक कार्य है। इस वर्ष के दौरान काम में अधिकतम प्रगति प्राप्त करने के लिए प्रयत्न किए गए। नवम्बर, 1982 तक, सभी दृष्टियों से कार्य पूरा करने का कार्यक्रम है।

(i) हैडरेस सुरंग का पावर चैनल फेस :

पावर चैनल फेस को विभागीय तौर पर अगस्त, 1978 में हाथ में लिया गया था मार्च, 1980 और मार्च, 1981 के बीच पूरे भाग की 167.4 मीटर लम्बाई का बोरिंग कार्य पूरा किया गया। इस पहुँच भाग में "इनवर्ट" के संबंध में 153.3 मी. की कंक्रीटिंग और 100.65 मीटर की आर्क कंक्रीटिंग का काम भी पूरा कर लिया गया है। 153.35 मीटर तक आर्क कंक्रीटिंग का काम पूरा करने के बाद फेस की शेष कंक्रीटिंग का काम दिसम्बर, 1981 में हाथ में लिया जायेगा।

(ii) पहुंच 0-1 :

सुरंग की इस पहुंच का कार्य भी विभागीय तौर पर हाथ में लिया गया। धरती के बह जाने वाली स्थिति तथा खराब भूगर्भीय स्थिति के कारण इस फेस में कठिनाई अनुभव की गई। फिर भी, अब तक पूरी पहुंच की 665 मी. लम्बाई का बोरिंग कार्य पूरा हो चुका है और नवम्बर, 1981 तक इस पहुंच के समस्त लाइनिंग कार्य के पूरा होने की आशा है।

(iii) पहुंच फेस 2-3 और 6-7 से संबंधित कार्य :–

इन फेसों में खुदाई का काम अगस्त, 1978 में पूरा हो गया था। इन फेसों की थोड़ी सी लम्बाई का लाइनिंग कार्य रह गया है जो जुलाई/अगस्त, 1982 में हाथ में लिया जाएगा।

(iv) पहुंच फेस 4–5 :

सुरंग की यह पहुंच सबसे अधिक जटिल है। 3825 मीटर की कुल लम्बाई में से 3402.3 मीटर लम्बाई का बोरिंग कार्य हो गया है। वर्ष के दौरान जून, 1980 में इस पहुंच में एक माह में 129.9 मीटर दर से बोरिंग के कार्य का रिकार्ड कायम किया गया। इस पहुंच में सुरंग के बोरिंग कार्य को अक्टूबर, 1981 तक पूरा करने का कार्यक्रम है और इस पहुंच में लाइनिंग आधुनिकतम कन्टीन्यूअस पोरिंग तकनीकों द्वारा करने की योजना है। देश में पहली बार ऐसी तकनीक को अपनाया जा रहा है।

(5) पेनस्टॉक :

पेनस्टॉक के उत्थापन का कार्य मैसर्स इन्डियन ह्यूम पाइप लि० को दिया गया है। वर्ष के अन्त तक कुल 4539 मि. टन के पेनस्टॉकों में से 3949 मि. टन के पेनस्टॉकों के उत्थापन का काम हो गया है। रेलवे वैगनों की अनुपलब्धता और क्षेत्र में माल ढोने वालों की हड़ताल के कारण पेनस्टॉक शेष माल की ढुलाई के काम में बाधा पड़ी। दिसम्बर, 1981 तक पेनस्टॉक के उत्थापन-कार्य को पूरा कर लिए जाने का कार्यक्रम है और विस्तार "ज्वाइन्ट्स" समेत सभी दृष्टियों से उत्थापन कार्य अप्रैल, 1982 तक पूरा करने का लक्ष्य है।

(6) बिजली-घर सिविल निर्माण-कार्य :

बिजली-घर से स्विचयार्ड तक बीच के टावर और बिजली घर से वाल्व-घर तक केबल डालने के कार्य को छोड़कर सभी तीनों यूनिटों का उत्थापन कार्य पूरा हो चुका है।

(7) विद्युत-कार्य :

यूनिट-I)
यूनिट-II) पूरे हो गए और बाक्स कर दिए गए
यूनिट-III)

सहायक कार्य :

सहायक तथा स्विचयार्ड का सभी शेष कार्य कार्यक्रम के अनुसार प्रगति पर था।

केबल जोड़ने और बिजली घर तथा स्विचयार्ड में जांच-पड़ताल का काम हो रहा था।

चालू ट्रांसफार्मर और "लाइटनिंग अरेस्टर इक्वीपमेंट" के उत्थापन का कार्य भी प्रगति पर था। परीक्षण और चालू किए जाने से पूर्व की क्रिया चल रही थी।

132 के. वी. स्विचयार्ड :

बिजली घर को स्विचयार्ड से जोड़ने के लिए बीच के टॉवरों के संबंध में सामान का अधिकांश भाग प्राप्त हो चुका था और काम को पूरा कर दिया गया है।

(8) चालू करने का कार्यक्रम :

परियोजना को दिसम्बर, 1982 तक चालू करने का कार्यक्रम है।

(ख) बैरा स्यूल जल-विद्युत परियोजना (3×60 मेगावाट)

(1) चरण-I :

चरण-I के सभी कार्य, जिसमें स्यूल वीयर, डिसिल्टिंग चेम्बर, ड्राप-शाफ्ट, स्यूल एडिट से आउटलेट तक हेडरेस सुरंग, वाल्व हाउस, पेनस्टॉक I तथा II, बिजली घर और टेलरेस सुरंग शामिल है, सभी तरह से पूरे हो चुके हैं। मई, 1980 में यूनिट I और II का परीक्षण किया गया। वर्ष 1980-81 के दौरान 337.75 लाख यूनिट बिजली पोंग के पास बी.बी.एम.बी. ग्रिड में दी गई।

(2) चरण-II

चरण-II के निर्माण कार्यों में बैरा रॉकफिल बांध, स्पिलवे, भालेध डाइवर्शन वीयर, भालेध फीडर सुरंग और इन्लेट से स्यूल एडिट इनटेक संरचना तक हेडरेस सुरंग शामिल है। विभिन्न निर्माण कार्यों की प्रगति निम्न प्रकार है :—

(i) बैरा बांध

बैरा रॉकफिल बांध के संबंध में, नदी तल की ग्राउटिंग ग्रौर 65,000 घन मीटर की कोर-ट्रेन्च खुदाई, ड्रिलिंग ग्रौर ग्राउटिंग का काम पूरा हो गया है और दाहिने किनारे पर खुदाई और ग्राउटिंग का काम हाथ में लिया गया है। नदी तल ग्रर्थात् 1085 मीटर ऊँचाई तक कोर-ट्रेंच के मिट्टी-भराव का काम पूरा कर दिया गया है। क्ले कोर, ऊपरी धारा में खुली खुदाई में पत्थर का भराव, निचली धारा में फिल्टर ग्रौर पहुंच सड़को की खुली, खुदाई में पत्थरों का भराव ग्रौर नींव क्षेत्र के खुल जाने पर 1079 मीटर की ऊँचाई तक आवश्यक समझे गए स्ट्राइपिंग का कार्य ग्रौर निचली धारा में पत्थरों से पिछले भाग के भराव के कार्य समेत, बांध के निर्माण का कार्य 1085 मीटर ऊंचाई तक पूरा हो गया।

(ii) स्पिलवे :

62907 घन मीटर के कुल कंक्रीटिंग में से 61347 घन मीटर स्पिलवे कंक्रीटिंग हो गया है, जो कुल कार्य का 89% है। आशा है कि यह कार्य दिसम्बर, 1981 में पूरा हो जायगा।

(iii) भालेध फीडर सुरंग :

सुरंग बोरिंग के कुल 7,750 मीटर लम्बाई में से 7,664 मीटर लम्बाई में 4,003 मीटर लम्बाई तक ऊपरी कंक्रीटिंग ग्रौर 1600 मीटर लम्बाई तक भीतरी कंक्रीटिंग का काम हो गया है।

(iv) भालेध वीयर :

कुछ बचाव निर्माण-कार्य को छोड़कर संरचना का कार्य पूरा हो गया है।

(v) इनलेट से स्यूल एडिट तक हेडरेस सुरंग का निर्माण :

चरण-II के 4908 मीटर लम्बाई तक सुरंग बोरिंग

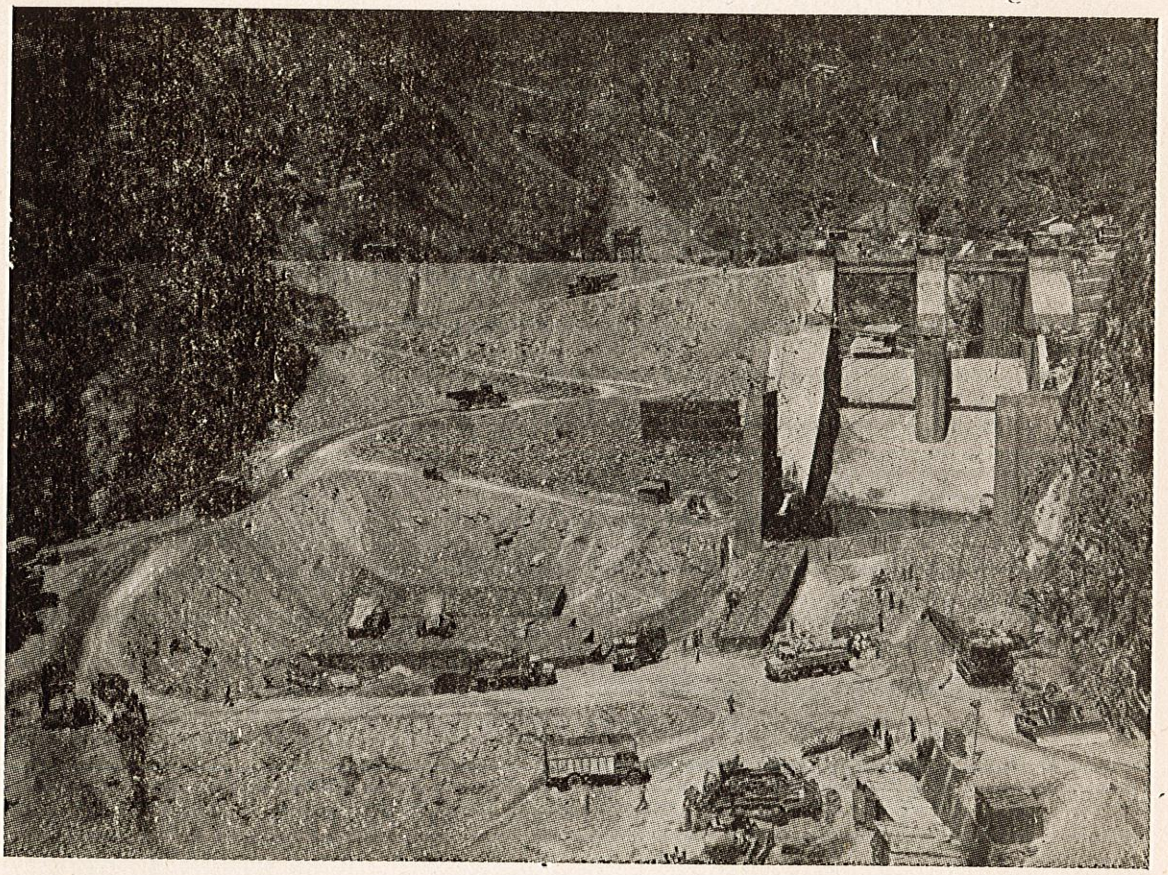

बैरा डैम

का काम हो गया है। 30 मीटर भीतरी और 24 मीटर ऊपरी भाग को छोड़कर कंक्रीट लाइनिंग का काम भी पूरा हो गया था। अब समस्त कार्य पूरा हो चुका है।

(vi) हेडरेस सुरंग इनटेक संरचना :

इस संरचना में कुल 4,800 घन मीटर के कंक्रीटिंग का काम था जिसमें से 2806 घन मीटर के कंक्रीटिंग का काम पूरा हो गया और समीक्षा के आधीन वर्ष के अन्त तक लगभग 1994 घन मीटर के कंक्रीटिंग का काम शेष था। सितम्बर, 1981 तक समस्त संरचना के पूरा हो जाने की आशा है।

(vii) पेनस्टॉक :

पेनस्टॉकों की यूनिट-I और यूनिट-II पहले ही पूरी हो गई हैं। यूनिट III के संबंध में 479 मीटर की कुल लम्बाई में से 466 मीटर लम्बाई तक उत्थापन और परीक्षण कर लिया गया है और कंक्रीटिंग का काम भी सभी प्रकार से पूर्ण हो गया है। मार्च, 1981 के अन्त तक कुल 395 मीटर लम्बाई में से 373 मीटर लम्बाई तक ग्राउटिंग का काम पूरा हो गया है। यह कार्य अब पूर्ण हो चुका है।

(viii) विद्युत-कार्य :

जैसा कि पहले ही बताया जा चुका है मशीन I और II को 18/19 मई, 1980 को परीक्षण के तौर पर चलाया गया। समय-समय पर उपलब्ध स्यूल नदी के पूरे बहाव का उपयोग करते हुए एक-एक करके मशीनों पर भार डाला गया। नेमी निरीक्षण और मरम्मत करने के बाद दोनों मशीनों को वर्ष के अन्त में चालू कर दिया गया।

गोलाकार वाल्वों उससे सम्बन्धित उपकरणों की असैम्बली और उत्थापन को छोड़कर यूनिट III के संस्थापन का काम पूरा हो गया है।

(3) परियोजना को चालू किया जाना :

दूसरे चरण के पूरा होने के साथ, परियोजना दिसम्बर, 1981 में चालू कर दी जाएगी।

(ग) सलाल जल-विद्युत परियोजना (3×115 मेगावाट)

(i) डाइवर्शन सुरंग :

शुष्क परीक्षण करने के पश्चात 6 मार्च, 1980 को चिनाब नदी के पानी को सुरंग में से बहने दिया गया। मूल कार्यक्रम में किए गए प्रस्ताव से पूर्व नदी के मोड़ को पूरा करके निर्माण के कार्यक्रम को अल्प करने की दृष्टि से 1980-81 के कार्यकारी मौसम में नदी के आर-पार एक डाइवर्शन डाइक (नॉन-ओवर-फलो टाइप) का निर्माण किया गया। इसका ऊपरी भाग 423 मीटर ऊंचा था। इस प्रकार 8 जनवरी, 1981 को डाइवर्शन सुरंग के मध्य से नदी के डाइवर्शन का काम पूरा कर लिया गया। इसके कारण इम्बेमेंट एरिया में खुदाई करना और 2.5 मीटर मोटा मैण्टल डालकर पावर बांध ब्लाकों के अप-स्ट्रीम का ट्रीटमेंट करना सम्भव हो सका। खुदाई का काम पूरा हो गया है और 408 मीटर ऊंचाई तक कंक्रीट डालने का काम हो गया है। इस आयोजना के कारण ओवर फ्लो टाइप डाइक बनाने की बात समाप्त हो गई और इसके फलस्वरूप ओवर फ्लो टाइप काफर बाँध पर 3 करोड़ रुपये की बचत हो गई और साथ-साथ निर्माण कार्यक्रम को छोटा बनाया जा सका। सलाल जल विद्युत परियोजना के इतिहास में यह प्रमुख घटना थी क्योंकि इससे परियोजना के समस्त निर्माण के कार्य-कलाप को आगे बढ़ाने में मदद मिली।

(2) टेलरेस सुरंग :

(i) निकास पोरटल से सुरंग की खुदाई :

निकास द्वार के पास खुदाई करने के बाद, आगे ले

जाने के लिए मुख्य टेलरेस सुरंग की खुदाई 371 मीटर की लम्बाई तक पूरी की गई और सुरंग को आर. एस. ज्वायस्ट, लैगिंग और प्रारम्भिक कंक्रीटिंग से सहारा दिया गया।

(ii) इनलेट पोरटल से सुरंग की खुदाई :

शाफ्ट नं० 1 के पूरा होने के बाद, इनलेट पोरटल के छोर से आगे जा रही सुरंग की खुदाई को 184 मीटर लम्बाई तक पूरा किया गया और उसे आर. एस. ज्वायस्ट, लैगिंग और प्रारम्भिक कंक्रीटिंग से सहारा दिया गया। निर्माण के काल-चक्र को सुधारने के लिए अध्ययन किए गए।

(3) कंक्रीट बांध :

कंक्रीट बाँध में 25 ब्लाक हैं जिनमें से पहले 3 नान-ओवर-फ्लो ब्लाक हैं और अगले 12 स्पिलवे ब्लाक हैं और शेष नान ओवर फ्लो ब्लॉक हैं। स्पिलवे ब्लाकों में कंक्रीट डालने का काम जारी रहा और वर्ष के दौरान 71,430 घन मीटर कंक्रीट डाली गई। पुनरीक्षित निर्माण कार्यक्रम के अनुसार, स्पिलवे पुल तक कंक्रीट डालने का काम मार्च, 1987 तक पूरा कर लिया जाना है। वर्ष के अन्त के समय इम्बेमेंट खण्ड और स्पिलवे में कंक्रीट डालने का काम प्रगति पर था। डाउन-स्ट्रीम नदी तल क्षेत्र में जांच-पड़ताल का काम भी प्रगति पर था। पावर बाँध ब्लाकों की डिजाइन ड्राइंग को अन्तिम रूप दे दिया गया। पावर बाँध ब्लाकों के निर्माण कार्य भी प्रगति पर थे। सीमेंट और लोहे की पूर्ति की स्थिति नाजुक बनी रही और परियोजना में बफर-स्टाक बनाने के लिए प्रयत्न किए गए। इस अवधि में कुल 60.06 घन मीटर टन में से 53.85 घन मीटर टन की कुल खुदाई की गई। ड्रिलिंग और ग्राउटिंग का काम प्रगति पर था। सभी छः स्लूइस लाइनरों और घुसेड़े गए भागों को खड़ा किया गया।

(4) बिजली-घर

चरण-1 की सभी तीनों यूनिटों में बिजली घर में खुदाई का काम प्रगति पर था। बिजली घर तक पहुंच सड़क और नाली के निर्माण का कार्य भी प्रगति पर था। वर्ष के दौरान 1070 घन मीटर की खुदाई और 909 घन मीटर के कंक्रीट डालने का काम पूरा किया गया।

(5) रॉकफिल बांध :

रॉकफिल बांध में खुदाई, फिल-प्लेसमेंट, ग्यूनिटिंग और ड्रिलिंग तथा ग्राउटिंग के काम प्रगति पर थे। वर्ष के दौरान, 2,07,000 घन मीटर की खुदाई और स्ट्राइपिंग का काम किया गया। इस प्रकार पार्श्व भाग में बांध नींव की खुदाई और स्ट्राइपिंग का 74.9% कार्य पूरा हो गया। वर्ष के अन्त तक ड्रिलिंग और ग्राउटिंग का 39.2%, शीयरजोन के कंक्राटिंग का 42%, और फिल-प्लेसमेंट का 14.3% काम भी पूरा हो गया। फिल्टर, कठिनाई और सुगमता से मिलने वाले सामानों के भण्डारण का काम भी अग्र-कार्रवाई के रूप में किया गया ताकि कोर-बेस ट्रीटमेंट के पूरा होने के तुरन्त बाद फिल-प्लेसमेंट का काम बड़े पैमाने पर हाथ में लिया जा सके।

(6) विद्युत कार्य :

(i) मैसर्स "भेल" से यूनिट-I, II और III के लिए उपकरण प्राप्त करने का काम पूरा कर लिया गया है। स्विचर्याड उपकरण, और जल निकासी तथा पानी निकालने के उपकरण आदि जैसे अन्य उपकरणों को प्राप्त करने का काम प्रगति पर था।

(ii) बिजली-घर में मिट्टी-चटाई बिछाने का काम चालू था। आवश्यक सिविल कार्यों के पूरा हो जाने के बाद अन्य विद्युत कार्य शुरू किए जाएगें।

(iii) 825 के. वीं. ए. क्षमता के तीन डी. जी. सैटों को चैकोस्लोवाकिया से आयात करके परियोजना स्थल पर मंगा लिया गया है और इन मशीनों को लगाने का कार्य प्रगति पर है।

(7) चालू करने का कार्यक्रम :

नीचे दिए गए कार्यक्रम के अनुसार परियोजना को चालू करने की योजना है :—

यूनिट-I	अगस्त, 1987
यूनिट-II	नवम्बर, 1987
यूनिट-III	फरवरी, 1988

(घ) देवीघाट जल-विद्युत परियोजना (3×4.7 मेगावाट)

(1) फरवरी, 1980 में परियोजना को त्रिशूली नदी के दाएं किनारे पर मुख्य कॉम्पलेक्स के लिए भूमि सौंपने का काम शुरू हुआ और सितम्बर, 1980 तक पूरा हुआ। इसके साथ ही अक्टूबर, 1980 में परियोजना के मुख्य कार्यों का निर्माण तेजी से शुरू हो गया।

पहुंच सड़कों, आवास कालोनियों, स्टोर, वर्कशाप, कार्यालय भवन, डिस्पेंसरी, जल-ट्रीटमेंट यंत्र, बिजली निर्माण, विद्युत तथा टेलीफोन प्रणाली का प्रबन्ध जैसी आधार-भूत सुविधाओं के निर्माण का काम पहले ही पूरा कर लिया गया है। सभी मुख्य ठेके दिए जा चुके हैं। निर्माण-कार्य के लिए आवश्यक यंत्र और उपस्कर प्राप्त कर लिए गए हैं।

हेड रेगुलेटर, खुली नालियों, कट और कवर नाली की लैज कटिंग, पहुंच-I, क्रास जल निकासी कार्य, फोरबे, पेनस्टॉक, टेलरेस और बिजली घर गढ्ढे की खुदाई के कार्य प्रगति पर थे। 441 मीटर तक सुरंग की बोरिंग का कार्य, जो कुल कार्य का 25% है, पूरा कर लिया गया है। हेड रेगुलेटर, क्रास जल-निकासी कार्य, फोरबे इनटेक आदि कार्यों को भी हाथ में लिया गया।

(2) विद्युत कार्य :

भेल द्वारा सप्लाई किए गए हाइड्रो-जेनरेटिंग उपकरण के पुर्जे और ई. ओ. टी. क्रेन के पुर्जे प्राप्त हो गए हैं। आपात पावर निर्माण के लिए डीजल पावर स्टेशन को चालू कर दिया गया है। स्विचयार्ड में खुदाई और मिट्टी-चटाई बिछाने का काम पूरा हो गया है। ट्रांसमिशन लाइन के प्रारम्भिक सर्वेक्षण भी पूरे कर लिए गए हैं। जेनरेटिंग उपकरण और ट्रांसमिशन लाइन उपकरण के डिजाइन, टेण्डर देने और उन्हें प्राप्त करने का काम निर्धारित योजना के अनुसार चल रहा है।

(3) चालू करने का कार्यक्रम :

पहली यूनिट को जून, 1983 में, दूसरी यूनिट को अगस्त, 1983 में और तीसरी यूनिट को अक्टूबर, 1983 में चालू करने की योजना है।

(ङ) ट्रांसमिशन निर्माण कार्य :

गंगतोक से कालिम्पोंग तक 66 के. वी. डबल सर्किट ट्रांसमिशन लाइन, रामनगर से गण्डक तक 132 के. वी. सिंगल सर्किट ट्रांसमिशन लाइन और सरना से दसूआ तक डबल सर्किट टावरों पर 220 के. वी. सिंगल सर्किट ट्रांसमिशन लाइन पूरी हो चुकी है।

अन्य निर्माणाधीन ट्राँसमिशन लाइनों के संबंध में प्रगति नीचे दी जाती है :—

ट्राँसमिशन निर्माण कार्यों का विवरण	पूरा करने की तिथि	31 मार्च 1981 तक पूरे किए गए कार्य का कुल प्रतिशत
1. मेल्ली सिक्किम में 66/11 के.वी. सब-स्टेशन (10 एम.वी.ए.)	जून, 1981 (पूरा हो चुका है)	85%
2. देवीघाट जल-विद्युत परियोजना के साथ 66 के.वी. ट्रांसमिशन/ट्रांसफारमेशन प्रणाली	जून, 1983 (देवीघाट परियोजना के चालू किए जाने के साथ-साथ)	ग्रभी शुरू नहीं हुई। फिर भी स्पेसिफिकेशन तैयार करने और फील्ड यूनिट की स्थापना/सब स्टेशन के लिए भूमि का कब्जा संबंधी प्रारम्भिक कार्य हाथ में लिया गया है।
3. लीमातक से जिरीबाम तक 132 के.वी. सिंगल सर्किट ट्राँसमिशन लाइन	दिसम्बर, 1981	63%
4. सिंगरौली सुपर थर्मल पावर स्टेशन के लिए 400 के.वी. सिंगल सर्किट ट्रांसमिशन लाइन	दिसम्बर, 1981	83%
5. जम्मू से सरना तक सलाल जल-विद्युत परियोजना के लिए 220 के.वी. सिंगल सर्किट ट्राँसमिशन लाइन	अक्टूबर, 1981	82%
6. चूखा जल-विद्युत परियोजना से सम्बद्ध 220 के.वी. ट्रांसमिशन निर्माण कार्य।	चूखा जल-विद्युत परियोजना के चालू किए जाने के साथ-साथ	पी.आई.बी. के ग्रनुमोदन की प्रतीक्षा है
7. दुलहस्ती से बटोट तक दुलहस्ती परियोजना के लिए कन्स्ट्रक्शन पावर के संबंध में 220 के.वी. संरचना पर 220 के. वी. ट्रांसमिशन लाइन	जून, 1984	ग्रार्डर देने से पूर्व की कार्रवाई हाथ में ली गई है।

(च) **नई परियोजनाएँ :**

(1) **कोयल कारो जल-विद्यु त परियोजना :**
(710 मेगावाट)

(i) कोयल कारो जल-विद्यु त परियोजना नैशनल हाइड्रोइलैक्ट्रिक पावर कारपोरेशन द्वारा निष्पादित करने के लिए बिहार राज्य सरकार द्वारा केन्द्रीय सरकार को औपचारिक रूप से सौंप दी गई है। इस परियोजना द्वारा बिहार में दक्षिणी कोयल नदी और इसकी सहायक उत्तरी कारो नदी की पावर क्षमता का उपयोग करने की योजना है। पूरा हो जाने पर, इस परियोजना की संस्थापित क्षमता 115 मेगावाट की 6 यूनिटें और 20 मेगावाट की एक यूनिट होगी। परियोजना से पूर्वीय क्षेत्र में अत्यावश्यक बिजली मिलेगी और पूर्वीय क्षेत्र ग्रिड की स्थापना हो जायेगी।

(ii) पब्लिक-इन्वेस्टमेंट बोर्ड ने इस परियोजना को 15-1-81 को 396.59 करोड़ रुपए की लागत (कुल) जमा निर्माण के दौरान ब्याज के 48.08 करोड़ रुपये पर अनुमति दे दी है। वर्ष के अन्त के समय औपचारिक इन्वेस्टमेंट संस्वीकृति की प्रतीक्षा थी।

(iii) कारपोरेशन द्वारा परियोजना संगठन की स्थापना, निर्माण/उपकरण की आयोजना आदि के संबंध में अग्रिम कार्रवाई की गई।

(2) **दुलहस्ती जल-विद्यु त परियोजना**
(3 × 130 मेगावाट)

(i) जम्मू व काश्मीर में दुलहस्ती जल-विद्यु त परियोजना चिनाब बेसिन विकास कार्यक्रम का अंग है। परियोजना मुख्य चिनाब पर नदी बहाव टाइप विकास जैसी है जिसमें किश्तवार के समीप यू-बेन्ड में 236 मीटर ऊँचाई से पानी को गिरा कर पावर उत्पादन करने की योजना है।

(ii) परियोजना के चरण I द्वारा 350 मेगावाट की अधिकतम क्षमता के अन्तर्गत 1928 कि. वा. प्रति घंटा की दर से वार्षिक ऊर्जा उत्पादन होगी।

(iii) पब्लिक इन्वेस्टमेंट बोर्ड ने दुलहस्ती जल-विद्युत परियोजना को अनुमति दे दी है। वर्ष के अन्त के समय औपचारिक इन्वेस्टमेंट संस्वीकृति की प्रतीक्षा थी।

(iv) परियोजना-संगठन को स्थापित करने, निर्माण उपकरण का आयोजन करने आदि के संबंध में अग्रिम कार्रवाई की गई।

(3) **चमेरा जल-विद्यु त परियोजना के संबंध में अनुसंधान :**

(i) परियोजना के चरण I के अनुसंधान का उद्‌घाटन माननीय ऊर्जा राज्य मंत्री द्वारा 24.1.1981 को किया गया।

(ii) कनैडियन इन्टरनेशनल डेवलपमेंट एजेंसी (सी. आई. डी. ए.) ने चमेरा जल-विद्यु त परियोजना के चरण-I के संबंध में फील्ड अनुसंधान करने तथा संभाव्यता रिपोर्ट तैयार करने के सिलसिले में 2,50,000/- कनैडियन डालर की राशि देने पर सहमति दे दी है। इस प्रयोजन के लिए, जैसा सी.आई.डी.ए. के नियमों में अपेक्षित है, कारपोरेशन द्वारा मैसर्स सर्वेयर, नॉनिगर एण्ड चेनेवर्ट इन्क (एस.एन.सी.), जो एक कनैडियन कन्सल्टैन्सी फर्म है, के साथ एक करार पर हस्ताक्षर किए जा चुके हैं। इस करार के अन्तर्गत, एस.एन.सी. विशेषज्ञ चमेरा जल-विद्युत परियोजना के चरण-I के फील्ड अनुसंधान करने और सम्भाव्यता रिपोर्ट तैयार करने में कारपोरेशन के इंजीनियरों की सहायता करेंगे। इस सहायता से अनुसंधान कार्य के एक वर्ष में पूरा होने की आशा है जब किपहले कारपोरेशन द्वारा दो वर्ष का अनुमान लगाया गया था।

(4) **अन्य परियोजनाएँ :**

चालू वर्ष में कोल डैम और धौली गंगा के अनुसंधान कार्य को हाथ में लेने का प्रस्ताव है। इसी प्रकार टनकपुर जल-विद्युत परियोजना के संबंध में प्रोजेक्ट रिपोर्ट तथा उरी परियोजना के बारे में पी. आई. बी. मेमो को चालू वर्ष के दौरान अंतिम रूप दे दिया जायेगा।

पूर्वी अबटमैन्ट (चमेरा) में जियोलॉजिकल अन्वेषण कार्य

6. कार्मिक और औद्योगिक संबंध :

(i) नियमों और नीतियों का निरुपण :

पूर्व की तरह, कारपोरेशन के अपने नियमों और नीतियों को बनाने पर जोर दिया गया। वर्ष के दौरान निम्नलिखित नियमों को अंतिम रूप दिया गया :

बाँध स्थल—चमेरा का निकट से दृश्य

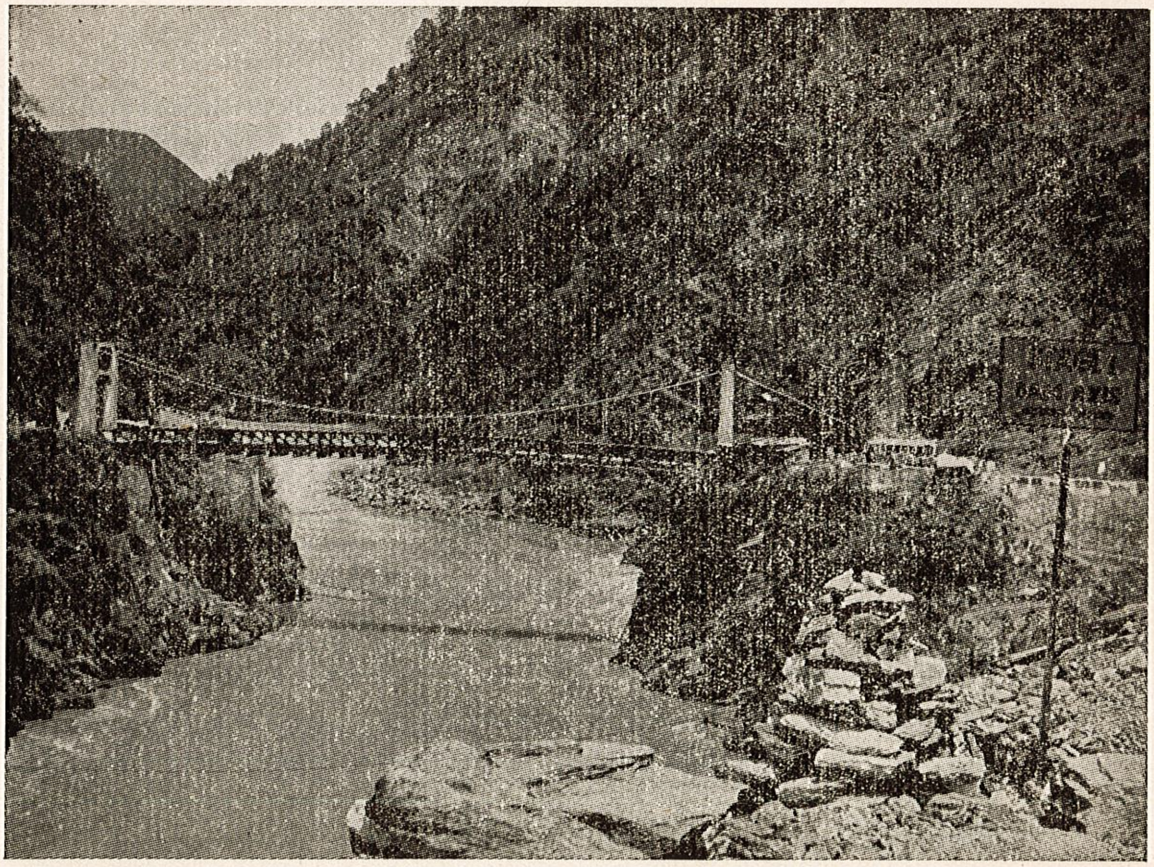

(क) एक्जीक्यूटिव के संबंध में पदोन्नति-नीति ।

(ख) मकान किरायाभत्ता नियम; और

(ग) शारीरिक दृष्टि से विकलांगों के पुनर्वास की योजना ।

(ii) कारपोरेशन के कैंडर में प्रतिनियुक्ति-धारियों का खपाया जाना :

वर्ष के दौरान, कर्मचारियों का अपना ही कैंडर तैयार करने की दिशा में कारपोरेशन के प्रयत्नों को और तेज किया गया ।

वर्ष 1980-81 के दौरान, 37 नॉन-एक्जीक्यूटिव और 13 एक्जीक्यूटिव को कारपोरेशन के कैंडर में खपा लिया गया ।

(iii) औद्योगिक संबंध :

आलोच्य वर्ष के दौरान, औद्योगिक संबंध सामान्यत: सौहार्दपूर्ण बने रहे ।

(iv) हिन्दी का प्रयोग :

सरकार की राजभाषा नीति के अनुसार कारपोरेट कार्यालय और कारपोरेशन की परियोजनाओं में हिन्दी के प्रयोग को बढ़ाने के लिए सभी प्रयत्न किए गए ।

कारपोरेट कार्यालय और परियोजनाओं में राजभाषा कार्यान्वयन समितियों का गठन किया गया है । इस दिशा में हुई प्रगति की समीक्षा करने के लिए इन समितियों की सावधिक बैठकें की गई ।

कार्मिक मैनुअल का हिन्दी रूपान्तर तैयार किया गया है । कोयल कारो परियोजना के संबंध में एक द्विभाषी "ब्रोशर" निकाला गया है । बहुत से फार्मों, लेटर-हेड, प्रचार ब्रोशरों आदि को द्विभाषी रूप में निकालने के लिए कदम उठाए गए हैं ।

कर्मचारियों द्वारा हिन्दी टाइपिंग और हिन्दी आशुलिपि सीखने के लिए कारपोरेशन में एक प्रोत्साहन योजना चालू की गई है । कारपोरेशन की परियोजनाओं में से एक में कर्मचारियों द्वारा कार्यालय का काम हिन्दी में करने के लिए एक विशेष प्रोत्साहन योजना भी चलाई गई है ।

7. प्रशिक्षण और प्रबंध विकास :

(1) कारपोरेशन विभिन्न स्तरों पर कार्य कर रहे अपने कर्मचारियों के संबंध में औपचारिक प्रशिक्षण और विकास की एक पद्धति अपनाने के लिए वचनबद्ध है । जनवरी, 1980 में शुरू किए गए प्रशिक्षण कार्यक्रम द्वारा वर्ष के दौरान अच्छी प्रगति हुई । कार्यक्रम को विस्तार देकर एक्जीक्यूटिव, पर्यवेक्षक और कुशल कामगार स्तर पर कारपोरेशन के सभी श्रेणी के कर्मचारियों को इसके अन्तर्गत शामिल कर लिया गया है ।

(2) एक व्यापक प्रबन्ध विकास कार्यक्रम चलाया जा रहा है और मार्च, 1981 के अन्तर्गत प्रबन्ध के विभिन्न कार्यात्मक क्षेत्रों को शामिल करते हुए कुल 31 कार्यक्रम आयोजित किए गए और इन कार्यक्रमों के अन्तर्गत 335 एक्जीक्यूटिव कर्मचारियों को प्रशिक्षित किया गया ।

(3) कारपोरेशन में आए नए इन्जीनियरिंग ग्रेजुएट्स के लिए औपचारिक प्रवेश और पूर्वाभीमुखीकरण प्रशिक्षण के महत्व को समझते हुए एक 5 सप्ताह का प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया जिसका उद्देश्य था—कारपोरेशन के कार्य-कलापों, बेसिक प्रबंधकीय सिद्धान्तों, प्रारम्भिक सर्वेक्षण अवस्था से संचालन और रख-रखाव अवस्था तक जल-विद्युत उत्पादन के तकनीकी पहलुओं और कारपोरेशन की चल रही जल-विद्युत परियोजनाओं की प्रमुख

विशेषताओं के संबंध में मोटे रूप से परिचित कराना।

(4) हाइड्रो-जेनरेशन क्षेत्र में आधुनिक तकनॉलोजी और नवीन प्रक्रिया से तकनीकी कार्मिकों को जानकारी हासिल करने के लिए अवसर उपलब्ध कराने की दृष्टि से चुने हुए कार्मिकों को इस क्षेत्र में कार्यरत विभिन्न संगठनों द्वारा आयोजित सम्मेलनों/गोष्ठियों/सेमिनारों आदि में भाग लेने के लिए भेजा गया।

(5) उपकरणों और मशीनरी के निर्माताओं के सहयोग से परियोजना स्थल पर नियुक्त कुशल कामगारों के लिए पुनश्चर्या कोर्स चला कर प्रशिक्षण देने पर भी पर्याप्त बल दिया जा रहा है। जहाँ भी आवश्यकता होती है, उपकरणों और मशीनरी के निर्माताओं के प्रशिक्षण संस्थानों में अतिरिक्त प्रशिक्षण देने की व्यवस्था की जाती है ताकि हमारी परियोजनाओं में लगे बहुत बढ़िया यंत्रों और मशीनरी के परिचालन और रख-रखाव के संबंध में कर्मचारियों को ताजा ज्ञान हो सके। हमारे दो औद्योगिक कामगारों को "शाटक्रीट मशीनों के परिचालन और रख-रखाव" के संबंध में एक विशेष कोर्स करने के लिए पश्चिमी जर्मनी भेजा गया।

8. **वित्तीय परिणाम :**

(क) **शेयर पूंजी :**

वर्ष के दौरान कारपोरेशन की अधिकृत पूंजी में कोई परिवर्तन नहीं आया और वह 200 करोड़ रुपए बनी रही। फिर भी, जारी की गई, अभिदत्त और चुकती पूंजी 83.3762 करोड़ रुपए से बढ़कर 97.9913 करोड़ रुपए हो गई। पूंजी में यह वृद्धि नकद राशि के लिए प्रत्येक 1000 रुपए के 146150 इक्विटी शेयरों को जारी करने और शेयर पूंजी जमा के रूप में रखे एक इक्विटी शेयर को आंशिक रूप से नकद राशि और आंशिक रूप से नकद राशि के अलावा अन्य रूप से जारी करने के कारण हुई। सभी शेयर पूर्णतः केन्द्रीय सरकार द्वारा अभिदत्त हैं।

(ख) **ऋण :**

ऋण की कुल राशि पूरी तरह केन्द्रीय सरकार से प्राप्त हुई और वह 83,17,43,600/- रु० से बढ़ कर 113,88,89,098.50 रु० हो गई। उस पर उपचित ब्याज 2,97,05,354.60 रु० था लेकिन 31-3-1981 तक यह देय न था।

(ग) **ब्याज का पूंजीकरण :**

भारत सरकार से प्राप्त ऋण पर उपचित ब्याज 2,080.40 लाख रु० था और 31-3-81 तक देय था। ब्याज की देनदारी को आंशिक रूप से इक्विटी पूंजी (1,461.50 लाख रु०) जारी करके और भारत सरकार से ताजा ऋण (618.90 लाख रु०) लेकर पूरा कर दिया गया है।

(घ) **व्यय :**

आलोच्य वर्ष के दौरान परियोजनाओं/ट्रांसमिशन लाइनों पर वास्तविक व्यय इस प्रकार था।

I. **कारपोरेशन की अपनी परियोजनाएँ**

(रुपए लाखों में)

	कार्य	निर्माण के दौरान ब्याज	कुल
(i) लोकतक	962.26	329.71	1291.97
(ii) बैरा स्यूल	1371.36	567.52	1938.88
(iii) कोयल कारो	47.19	—	47.19
(iv) दुलहस्ती	3.14	—	3.14
(v) चूखा टी. सी. यूनिट	5.18	—	5.18

II. **एजेंसी आधार पर परियोजनाएँ**

(i) सलाल	3116.77
(ii) देवीघाट	571.57

III. **ट्रांसमिशन लाइनें** (जमा कार्य के रूप में)

(i) गंगतोक-मेल्ली-कालिम्पोंग	91.12
(ii) गंगतोक-दिक्चू	0.56
(iii) लीमातक-जिरीबाम	54.90
(iv) रामनगर-गण्डक	15.16
(v) सिंगरौली-कानपुर	678.71

IV. **अन्वेषण परियोजनाएँ**

चमेरा अन्वेषण परियोजना	4.05

(ङ) **अतिथि सत्कार**

वर्ष के दौरान अतिथि सत्कार पर कुल 54,041.79 रु० व्यय हुए। व्यय का यूनिटवार ब्यौरा नीचे दिया गया है :—

	रु०
कारपोरेट कार्यालय	39,078.39
बैरा स्यूल	8,903.70
लोकतक	5,989.70
कोयल कारो	70.00

इसके अतिरिक्त सलाल और देवीघाट परियोजनाओं तथा ट्रांसमिशन निर्माण यूनिटों द्वारा अतिथि सत्कार पर निम्नलिखित व्यय किए गए :—

	रु०
सलाल परियोजना	32,496.23
देवीघाट परियोजना	
(क) प्रदर्शन प्रकट के आतिथ्य पर	25,989.60
(ख) अन्य अतिथि सत्कार पर	26,084.04
ट्रांसमिशन निर्माण यूनिटें	429.70
चमेरा अन्वेषण परियोजना	13,197.06

(च) **विज्ञापन और प्रचार :**

इस शीर्षक के अन्तर्गत कुल व्यय की राशि 7,96,581.68 रु० थी जिसमें कारपोरेट कार्यालय ने 4,54,946.06 रु० व्यय किए। इस व्यय का विवरण नीचे दिया जाता है :—

	रु०
(i) प्रचार-प्रसार पर	1,42,437.48
(ii) दृश्य तथा श्रव्य प्रचार निदेशालय के माध्यम से विज्ञापन	कुछ नहीं
(iii) अन्य माध्यमों द्वारा विज्ञापन	6,54,144.20

कारपोरेशन ने अभी राजस्व क्रियाएँ शुरू नहीं की हैं अतः विज्ञापन-प्रचार पर होने वाले व्यय तथा आय के बीच अनुपात का हिसाब नहीं निकाला गया है ।

(छ) **अतिथि गृह :**

बैरा स्यूल और लोकतक परियोजनाओं के अतिथि गृहों के रख-रखाव पर क्रमशः 2,98,938.01 रु० और 2,11,720.67 रु० व्यय हुए । इनमें फील्ड होस्टलों पर किया गया व्यय भी शामिल है ।

(ज) **कारपोरेट कार्यालय का किराया, रख रखाव और विविध व्यय :**

वर्ष के दौरान कारपोरेशन के मुख्य कार्यालय में रख-रखाव, फर्नीचर और लगी हुई वस्तुओं इत्यादि पर व्यय निम्न प्रकार है :—

		रु०
(i)	कार्यालय भवन का किराया	19,99,392
(ii)	फर्नीचर (पूंजी लागत)	2,84,651
(iii)	कार्यालय उपस्कर (पूंजी लागत)	5,49,117
(iv)	संचार उपस्कर (पूंजी लागत)	कुछ नहीं
(v)	(i) से (iv) तक के रख-रखाव पर लागत	1,53,265
(vi)	बिजली और पानी प्रभार	78,396
(vii)	अन्य व्यय, छपाई और लेखन सामग्री, डाक खर्च, तार, टेलीफोन और टेलेक्स तथा अन्य विविध व्यय	11,57,930

(झ) **विदेशी दौरे :**

1980-81 के दौरान कारपोरेशन के कर्मचारियों द्वारा किए गए विदेशी दौरों का संक्षिप्त विवरण अनुलग्नक-i में दिया गया है ।

(ञ) **सामाजिक सुविधाओं पर व्यय :**

नगर क्षेत्र, शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं पर हुआ राजस्व की किस्म का व्यय निम्न प्रकार है :—

(रुपए लाखों में)

	नगर क्षेत्र	शिक्षा	स्वास्थ्य सुविधाएँ
बैरा स्यूल	18.00	2 69	5.55
लोकतक	4.33	1.58	2.10
कारपोरेट कार्यालय	—	—	3.70
कोयल कारो	—	—	—
दुलहस्ती	—	—	—
चूखा ट्रां. कं. यूनिट	—	—	—

टिप्पणी : परियोजना स्थल पर नगर-क्षेत्र में आवासी इमारतें अधिकतर अस्थाई किस्म की हैं जो परियोजनाओं के निर्माण काल तक बनी रहेंगी ।

9. लेखा परीक्षक :

मैसर्स आर०के० खन्ना एण्ड कम्पनी को आपके कारपोरेशन के खातों का 1980-81 वर्ष के लिए लेखा परीक्षा करने के लिए लेखा परीक्षक नियुक्त किया गया।

10. लेखा परीक्षकों की टिप्पणी :

लेखा परीक्षकों द्वारा अपनी रिपोर्ट में दी गई टिप्पणी पर निदेशकों की टिप्पणियाँ इस रिपोर्ट के अनुलग्नक-II में दी गई हैं।

11. कर्मचारियों का विवरण :

कम्पनी (कर्मचारी विवरण) नियम 1975 के साथ पठित कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 217 (2 क) के अनुसार सूचना अनुलग्नक-III में दी गई है जो इस रिपोर्ट का एक भाग है।

12. निदेशकगण :

वर्ष के दौरान, श्री एस. एन. रॉय तारीख 20.5.80 से आपके कारपोरेशन के निदेशक नहीं रहे। 12.6.1980 से अपना कार्यकाल पूरा करने पर मेजर-जनरल टी. वी. जगन्नाथन ने आपके कारपोरेशन के अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक का पदभार छोड़ा। निदेशक मण्डल उनके द्वारा की गई सेवाओं की प्रशंसा करता है। विद्युत विभाग में से संयुक्त सचिव के पदभार के साथ-साथ, श्री पी.एम.बेलिअप्पा, संयुक्त सचिव, विद्युत विभाग को तारीख 13-6-80 से आपके कारपोरेशन का अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक नियुक्त किया गया। श्री वी. सुब्रामनियन, श्री डी. राजगोपालन और श्री ए. एन. सिंह वर्ष के दौरान आपके कारपोरेशन में निदेशकों के रूप में कार्य करते रहे।

13. आभार :

निदेशक-मण्डल भारत सरकार के विभिन्न विभागों, विशेषत: ऊर्जा मंत्रालय, विदेश मंत्रालय, आई. सी. एम. नेपाल, एच.एम.जी. नेपाल, केन्द्रीय जल आयोग और केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण, सर्वे आफ इंडिया, और जिओलॉजिकल सर्वे आफ इंडिया, सी.आई.डी.ए. और एस.एन. सी. ऑफ कनाडा का उनके मार्ग-दर्शन और उनके द्वारा दी गई सहायता के लिए धन्यवाद देता है और आभार व्यक्त करता है। मणिपुर राज्य सरकार, सिक्किम राज्य सरकार, जम्मू व कश्मीर राज्य सरकार, हिमाचल प्रदेश, बिहार और अन्य राज्य सरकारों, बिहार और उत्तर प्रदेश के राज्य बिजली बोर्डों ने अपने-अपने राज्य में हमारे कार्यों में जो सहयोग प्रदान किया है उसके लिए हम उन्हें भी धन्यवाद देते हैं। यदि इन और अन्य एजेंसियो ने सहायता और सहयोग न दिया होता तो कारपोरेशन ने अब तक जो प्रगति की है वह उसके लिए करना सम्भव न होता।

निदेशक मण्डल भारत के नियंत्रक तथा महा लेखा-परीक्षक, सांविधिक लेखा परीक्षकों तथा बैंकरो के बहुमूल्य सहयोग के लिए भी आभारी है।

निदेशक मण्डल इस अवसर का लाभ उठाते हुए कारपोरेशन के अधिकारियों और कर्मचारियों द्वारा किए गए निष्ठा और परिश्रम पूर्ण कार्य की भी प्रशंसा करता है और उसे इस बारे में तनिक भी संदेह नहीं कि वे आने वाले वर्षों में इससे भी अधिक उत्तम ढंग से अपने कर्तव्य को निभाएंगे।

निदेशक मण्डल की ओर से

नई दिल्ली — पी०एम० बेलिअप्पा

दिनांक : 26.9.81 — अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक

अनुलग्नक–I

1980-81 के दौरान विदेशी दौरों का विवरण

क्रम सं०	नाम और पदनाम	देश/स्थान का नाम जहाँ गए	दौरे का उद्देश्य	दौरे की अवधि	कुल खर्च
1.	श्री वी०के०शर्मा महा प्रबन्धक (विद्युत)	इटली और हालैण्ड	इटली में मैसर्स एस.ए.ई. के टेस्ट बैड पर 400 के. वी. टावरों की टैस्टिंग और हालैण्ड में के. ई. एम. ए. प्रयोगशाला में इन्सुलेशन स्ट्रिंग की टैस्टिंग	21.4.80 से 11.5.80	29,122.43
2.	श्री महेन्द्र कुमार उप प्रबन्धक (विद्युत)	—वही—	—वही—	21.4.80 से 15.5.80	28,727.93
3.	श्री आर.के.मल्होत्रा महा प्रबन्धक (लोकतक)	स्विट्ज़रलैण्ड	यूरोप में "यूरोटनल,80" में टनलिंग पर सम्मेलन में भाग लेने	9.9.80 से 21.9.80	27,600.15
4.	श्री विठ्ठल राम प्रबन्धक	—वही—	—वही—	9.9.80 से 21.9.80	27,595.15
5.	श्री ओ.पी.मेहता	फ्राँस	पेरिस में सम्मेलन में भाग लेने तथा इंडियन डेलीगेशन ई.ई.सी. सहायता योजना के सदस्य के रूप में ई. ई. सी. का दौरा।	21.11.80 से 30.12.80	23,289.75

अनुलग्नक-II

वर्ष 1980-81 के लिए ऑडिटर रिपोर्ट में दी गई शर्तों पर टिप्पणियां

प्रबन्धक वर्ग की टिप्पणियां

पैरा 2.

सलाल परियोजना के लिए भारत सरकार द्वारा निर्मुक्ति राशि का उपयोग सलाल के परियोजना अनुमानों में परिकल्पित और प्राधिकृत व्यवस्था के अनुसार सलाल परियोजना के लिए आवश्यक मशीनरी की खरीद के लिए किया गया। खरीदी गई यह मशीनरी सलाल परियोजना की किताबों में दर्ज है। 1979 में, बैरा स्यूल परियोजना के बैरा बांध का निर्माण विभागीय तौर पर करने का फैसला किया गया और इसकी मशीनरी की आवश्यकताओं का आकलन करने पर पता चला कि अधिकांश मशीनरी सलाल में उपलब्ध थी। उस समय बैरा स्यूल में मशीनरी के उपयोग की अवधि भी थोड़ी थी। इस बात के आकलन करने के बाद कि बैरा बाँध में सलाल के उपस्करों के थोड़े समय के उपयोग से दोहरी खरीद से बचा जा सकेगा और इससे सरकारी खर्च में काफी बचत हो सकेगी (दोनों परियोजनाओं के लिए धन विधिवत भारत सरकार देती है)। कीमती मशीनरी का अधिकतम उपयोग किया गया। निदेशक-मण्डल ने 1979 में बैरा स्यूल परियोजना में सलाल मशीनरी के उपयोग की अनुमति प्रदान की थी। मशीनरी के संबंध में भाड़ा-प्रभार और सलाल से ले जाने और वापिस ले आने के लिए ढुलाई खर्च देने की देनदारी बैरा स्यूल परियोजना की थी।

सलाल परियोजना को अपने अनुमानों के अनुसार कुछ मशीनरी के आदेश अभी देना था। समय बचाने और दुहरी ढुलाई के बेकार खर्च से बचने की दृष्टि से यह मशीनरी सलाल की ओर से बैरा स्यूल द्वारा प्राप्त करने का प्राधिकार दिया गया। चूंकि यह सम्पत्ति सलाल की है, इसलिए सलाल के खाते में सही रूप से डाल दी गई।

थोड़े समय के लिए आवश्यकता से फालतू उपकरणों और मशीनरी को किराये पर लेना और भाड़ा प्रभार वसूल करना, फण्ड के डाइवर्शन की बात नहीं है बल्कि यह तो वास्तव में कारपोरेशन द्वारा सरकारी धनों का ठीक वित्तीय प्रबन्ध किए जाने का द्योतक है। इस मामले से संबंधित सभी आवश्यक फाइलें और कागजात लेखा-परीक्षकों को दिखा दिया गया था। यह तथ्य लेखा-परीक्षकों के ध्यान में विधिवत् ला दिया गया था कि भारत सरकार को, कारपोरेशन के निदेशक-मण्डल में अपने प्रतिनिधियों के मार्फत इस संबंध में पूरी जानकारी है और जून, 1981 में एक विशेष रिपोर्ट भारत सरकार को भेजी गई थी जिस पर सरकार ने इस बात की पुष्टि कर दी थी कि कारपोरेशन द्वारा की गई कार्रवाई नियमित है। भारत सरकार ने, जिसने सलाल परियोजना को नै०हा०पा०का० को सौंपा था, कभी यह नहीं सोचा कि करार का कोई उल्लंघन हुआ है या इन लेन-देन में कोई अनियमितता बरती गई है।

2, नोट-16 के संबंध में

पुनरीक्षण के पूरा होने पर, परिसम्पत्ति के अंतरण मूल्य में यदि किसी परिवर्तन की आवश्यकता पड़ी तो उसे भारत सरकार के साथ उठाया जाएगा।

नोट 19(क) और (ख)

पुनरीक्षण के पूरा होने पर प्रयोग के अधीन परिसम्पत्ति को "कैपिटल वर्क्स इन प्रोग्रेस" से "फिक्स्ड एसेट्स" में हस्तान्तरित कर दिया जायगा और उचित दरों पर मूल्य ह्रास दिया जायगा तथा पूर्व व्यापी प्रभाव की तिथि से आवश्यक समंजन किया जाएगा।

नोट 20(क)

नोट में जैसा कहा गया है, मूल वाउचर के आधार पर समंजन किया गया। ये मूल वाउचर महा लेखा परीक्षक के कार्यालय में हैं अतः लेखा परीक्षकों द्वारा जांच के लिए प्रस्तुत नहीं किए जा सके।

नोट 20(ख)

विविध खर्च के अन्तर्गत दिखाए गए 81.92 लाख रुपये की शेष राशि के अन्तरण के संबंध में कार्रवाई की जाएगी। पुनरीक्षण के पूरा होने पर निर्धारित दरों पर मूल्य-ह्रास दिया जाएगा।

नोट 21

जैसा नोट में कहा गया है, लोकतक परियोजना में सड़कों, पुलों, नालियों इमारतों के अति शेष के पूर्ण-ग्रहण करने के संबंध में ब्यौरा मूल वाउचरों के आधार पर तैयार किया गया था। ये वाउचर महा लेखा-परीक्षक के कार्यालय में है अतः जांच के लिए लेखा परीक्षकों के समक्ष प्रस्तुत नहीं किए जा सके।

नोट 22

कारपोरेशन से संबंध न रखने वाली ज़मीन के संबंध में जानकारी हासिल की जा रही है और उसके संबंध में खर्च को लेखा के सही शीर्ष में दिखाया जाएगा।

नोट 24

जैसा कि नोट में कहा गया है, कपिटल वर्क्स इन प्रोग्रेस/फिक्स्ड एसेट्स के संबंध में सहायक पुस्तकों और नियंत्रण लेखा के बीच समाधान किया जा रहा है।

नोट 26

संबंधित प्राधिकारियों को यह सूचित करने के लिए लिखा गया है कि आयात शुल्क और पोर्ट-ट्रस्ट प्रभार क्या होंगे और इस सूचना के आ जाने पर लेखा में इन्हें दर्शा दिया जाएगा।

नोट 27 (ख)

ऐसी परिसम्पत्तियों के जीवन-काल को निश्चित करने के सम्बन्ध में आवश्यक कार्रवाई 1981-82 में की जाएगी और पहले किए गए मूल्य-ह्रास और जीवन-काल निर्धारित करने के बाद देय मूल्य-ह्रास के अन्तर का समंजन किया जाएगा।

नोट 28

इस सम्बन्ध में बकाया कार्य पूरा करने की दिशा में प्रयत्न किए जा रहे हैं।

नोट 29

यह सम्भव नहीं है कि विभिन्न निर्माण स्थलों पर बिना खपत के पड़े स्टोर की संख्या को 31-3-1981 की तारीख में बता दिया जाए क्योंकि कुछ मामलों में काम को रोकना पड़ सकता था। अतः उन्हें चल रहे निर्माण कार्य के नाम दिखा दिया गया है।

नोट 30

इस सम्बन्ध में पुनरीक्षण किया जा रहा है। पुनरीक्षण के पूरा होने पर अंतिम रूप से समंजन कर दिया जाएगा।

नोट 32

समय-समय पर जो कबाड़ निकलेगा, उसके सम्बन्ध में आवश्यक समंजन 1981-82 में किया जाएगा।

नोट 33

फालतू स्टोर और बेकार स्टॉक की पहचान नहीं की जा सकी क्योंकि 1980-81 में निर्माण-कार्य अपनी चरम सीमा पर

था। फिर भी, 1981-82 में दिशा में पुनरीक्षण किया जाएगा और अन्तिम निपटान के लिए उचित अलगाव कर दिया जाएगा।

नोट 34

"ठेकेदारों को जारी किए गए स्टोर" के शीर्ष के अन्तर्गत जमा शेष ठेकेदारों को जारी स्टोर के संबंध वसूली जाहिर करता है। सरकारी अवधि में यह आरम्भत: निर्माण कार्य के समक्ष दिखाया गया था। ब्यौरे को पूरा करने और कैपिटल वर्क्स इन प्रोग्रेस और ठेकेदारों के लेखों में आवश्यक समंजन करने के संबंध में कदम उठाए जा रहे हैं

नोट 35

"डिपुओं के बीच हस्तांतरण" के शीर्ष के अन्तर्गत दिखाए 51.55 लाख रुपए के अतिशेष का विवेचन किया जा रहा है और विस्तृत विवेचन के पूरा होने पर आवश्यक समंजन किया जाएगा।

नोट 36

मुख्य खाता बही के साथ सहायक अभिलेखों के मिलान करने का काम हाथ में लिया गया है। पुनरीक्षण कर लेने के बाद ठेकेदारों/पूर्तिकर्त्ताओं को दी गई अग्रिम राशि का आवश्यक समंजन किया जाएगा।

नोट 37

"पूर्तिकर्त्ताओं को अग्रिम भुगतान" शीर्ष के अन्तर्गत जमा शेष भी उन वसूलियों के संबंध में है जो अग्रिम भुगतान किए गए थे और जो प्रारम्भ में सरकारी अवधि में निर्माण-कार्य के नाम डाले गए थे। इनका पुनरीक्षण किया जा रहा है ताकि ठेकेदारों के खातों में आवश्यक समंजन किया जा सके।

नोट 39 और 40

लेखा का आवश्यक ब्यौरा 1981-82 में आडिट को उपलब्ध कराया जाएगा।

नोट 43

परियोजना स्थल पर पूर्ति प्राप्त करने और मशीनरी के उत्थापन के लिए विभिन्न मण्डलीय अधिकारियों द्वारा पूर्तिकर्त्ताओं को बिना समंजन किए गए अधिकांशत: अग्रिम धन दिए जाते हैं। मण्डलीय अधिकारियों से रसीद/सन्तोषजनक समापन प्रमाण-पत्र प्राप्त करने पर इन अग्रिम धनों का समंजन एक सतत चलने वाला कार्य है। ऐसे अग्रिम धनों के समंजन के कार्य को तेज करने की दिशा में प्रयत्न किए जा रहे हैं।

नोट 44 और 45

विविध ऋणदाताओं के संबंध में सहायक खातों का सामान्य खाते के साथ समाधान किया जा रहा है।

नोट 47

अन्य देनदारी के सम्बन्ध में किए गए प्रावधान के सम्बन्ध में मण्डलों से विवरण एकत्र किए जायेंगे और रिकार्ड में रख लिए जायेंगे।

नोट 49, 50 और 54

टूट-फूट आदि के कारण हुए नुकसान के संबंध में अंतिम समंजन जांच-पड़ताल के बाद पूरे किए जाएंने। 7.32 लाख रुपए के अनुमानित नुकसान के संबंध में लेखा समंजन 1981-82 में हरेक के खर्च को अलग-अलग करके किया जाएगा।

नोट 53 पैरा 1

निर्धारित तिथि के बाद ज्ञात हुई सामग्री की किस्म की सुपरिचित देयताओं की बाद में व्यवस्था की जायेगी।

नोट 53 पैरा 2

जैसा कि निर्माणाधीन प्रासंगिक व्यय की विवरणी के नीचे दिए गए नोट 3 में बताया गया है तथा जो एक वास्तविक तथ्य है कि पूर्णकालिक निदेशकों द्वारा सरकारी प्रयोजन के लिए निःशुल्क तथा निजी यात्राओं के लिए भुगतान पर कम्पनी की कार का उपयोग किया जाता है ।

लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट के पैरा 1 में उल्लिखित लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट का अनुलग्नक

पैरा 1 का उप-पैरा 1

जैसा कि लेखा सम्बन्धी नोट के पैरा 19(क) और (ख) में उल्लेख किया गया है, लेन-देन के संबंध में पुनरीक्षण का काम पहले से ही हाथ में लिया गया है और इसके पूरा होने पर "कैपिटल वर्क्स इन प्रोग्रेस" खाते से परि-सम्पत्ति के खाते में अन्तरण किया जाएगा ।

साथ-साथ, पूर्व व्यापी तिथियों से आवश्यक समंजन करते हुए उचित दरों पर मूल्य-ह्रास देने की व्यवस्था की जाएगी ।

पैरा 1 और 3 का उप-पैरा 2

1981-82 में, निश्चित परिसम्पत्तियों और भण्डार तथा फालतू पुर्जों के संबंध में वास्तविक पड़ताल की जाएगी और परिसम्पत्ति रजिस्टर के साथ वास्तविक पड़ताल का आवश्यक समाधान भी किया जायगा ।

पैरा 6

लोकतक परियोजना में, वर्ष के अधिकाँश भाग में अशान्त हालातों के कारण संचार-व्यवधान रहा जिसके कारण आन्तरिक नियंत्रण प्रणाली पर प्रभाव पड़ा ।

पैरा 8

जैसा कि नोट संख्या 49 और 50 में उल्लेख किया गया है, जांच-पड़ताल किए जाने के बाद अंतिम रूप से समंजन किया जाएगा ।

पैरा 10

मण्डलीय अधिकारियों द्वारा जब और जैसे ही कबाड़ की घोषणा की जाती है, उसे मुख्य स्टोर में हस्तान्तरित कर दिया जाता है और कबाड़ के रूप में हिसाब में ले लिया जाता है ।

पैरा 13

कारपोरेशन के कर्मचारी भविष्य निधि नियम केवल 1.11.1978 से लागू किए गए और केन्द्रीय भविष्य निधि (सी.पी.एफ.) के संबंध में सरकार के तत्समय के नियमों के अन्तर्गत की गई कटौतियों का समाधान लोक-तक परियोजना के रिकार्ड से किया जा रहा है। समाधान किए जाने तक 1,55,021 रु० का भुगतान तारीख 28.8.1981 को कर्मचारी भविष्य निधि ट्रस्ट को कर दिया गया है ।

अनुलग्नक-III

कम्पनी (कर्मचारियों के ब्यौरे) नियमावली, 1975 के साथ पठित कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 217 (2क) के तहत अपेक्षित सूचना

नाम व पदनाम	पारिश्रमिक	रोजगार का रूप (अनुबंधित या अन्य)
1	2	3
(क) (उन कर्मचारियों का ब्यौरा जिन्होंने पूरा वित्तीय वर्ष कार्य किया और जिनका पारिश्रमिक पूरे वर्ष में 36,000/-रू० से कम नहीं था।)		
कारपोरेट मुख्यालय :		
1. श्री वी. सुब्रामनियन निदेशक (वित्त)	75,632.20	दिनांक 25.1.80 तक सी.ए.जी. आफ इंडिया के कार्यालय से प्रतिनियुक्ति पर, 26.1.80 से समावेषित।
2. श्री आर. सी. गुप्ता महा प्रबन्धक (का.व.प्र.)	57,812.22	नियमित।
3. श्री वी.के.शर्मा महा प्रबंधक (विद्युत)	61,683.75	बिहार राज्य विद्युत बोर्ड से प्रतिनियुक्ति पर।
4. श्री आर.राजागोपालन महा प्रबन्धक (वित्त एवं लेखा)	54,337.05	सी.ए.जी. आफ इंडिया के कार्यालय से प्रतिनियुक्ति पर।
5. श्री के. माधवन महा प्रबन्धक (सी)	51,834.81	केन्द्रीय जल आयोग के कार्यालय से प्रतिनियुक्ति पर
6. श्री ओ.पी. मेहता महा प्रबन्धक	56,266.00	पंजाब सिंचाई कार्य विभाग से प्रतिनियुक्ति पर।
7. श्री ए.एच. रैना मुख्य इंजीनियर (जी)	42,041.90	विद्युत विकास विभाग, जम्मू व काश्मीर से प्रतिनियुक्ति पर। दिनांक 1.12.80 से समावेषित।
8. श्री वी. के. जोशी वरिष्ठ प्रबन्धक (फोरवर्ड प्लानिंग)	43,889.45	उत्तर प्रदेश के सिचाई विभाग से प्रतिनियुक्ति पर।
9. ए. वी. मोटवानी, मुख्य इंजीनियर (एम.पी.एस.)	52,803.70	केन्द्रीय जल आयोग से प्रतिनियुक्ति पर दिनांक 9.2.79 से समावेषित।

योग्यता (अनुभव)	नै०हा०पा०का० में सेवारम्भ की तिथि	आयु (वर्ष)	पूर्व पद जिस पर कार्य किया
4	5	6	7
बी.एस.सी. (आनर्स) एल.एल.बी. (28 वर्ष)	27.1.78	52	लेखा सदस्य, केरल राज्य विद्युत बोर्ड ।
व्यावसायिक प्रबन्धक (37 वर्ष)	4.4.77	56	उप महा प्रबन्धक (कार्मिक), बी.एच.ई.एल. ।
बी.एस.सी. (इंजीनियरिंग) (विद्युत) (32 वर्ष)	6.12.79	51	महा प्रबन्धक व मुख्य इंजीनियर, बिहार राज्य विद्युत बोर्ड ।
बी.एस.सी. बी.एल. (26 वर्ष)	19.11.78	52	महा लेखाकार, जम्मू तथा काश्मीर ।
बी.ई. (सिविल) (29 वर्ष)	22.9.78	51	निदेशक (एस.जी.), केन्द्रीय, जल आयोग ।
बी.एस.सी. इंजी. (सिविल) (31 वर्ष)	1.1.80	52	मुख्य इंजीनियर, चूखा परियोजना प्राधिकरण, भूटान ।
बी. ई. (विद्युत) (20 वर्ष)	9.5.74	50	अधीक्षक अभियंता, विद्युत विकास विभाग, जम्मू और काश्मीर ।
बी. ई. (सिविल) (28 वर्ष)	31.3.79	50	निदेशक, केन्द्रीय जल आयोग ।
बी.ई. (सिविल) (32 वर्ष)	16.7.78	56	सचिव, केन्द्रीय जल विद्युत परियोजना नियंत्रण बोर्ड ।

1	2	3
10. श्री वी. एम. बजाज मुख्य इंजीनियर (सी. पी. जी.)	48,819.00	हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड से प्रतिनियुक्ति पर।
11. श्री पी. पी. जैन वरिष्ठ प्रबन्धक (का. व प्र.)	40,322.30	नियमित।
12. श्री के. सुब्रामनियन वरिष्ठ प्रबन्धक (लेखा)	42,077.00	आर० ई० सी० लि० से प्रतिनियुक्ति पर दिनांक 16-12-80 से समावेषित।
13. श्री टी. सी. जैन, वरिष्ठ प्रबन्धक (विद्युत)	40,997.50	केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण से प्रतिनियुक्ति पर। 20.3.80 से समावेषित।
14. ले० कर्नल एम. एल. सचदेव वरिष्ठ प्रबन्धक (टी. एण्ड एम. एस.)	43,668.86	नियमित।
15. श्री के. वी. मोटवानी प्रबन्धक (विद्युत)	39,477.95	पी० डब्ल्यू० डी० पंजाब से प्रतिनियुक्ति पर।
16. श्री एस. के. मित्तल प्रबन्धक (जनरेशन)	43,433.60	उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड से प्रतिनियुक्ति पर।
17. श्री आर. के. मदान प्रबन्धक (विद्युत)	39,588.40	नियमित।
18. कु. ई. डिवेटिया प्रबन्धक (डिज़ाइन)	43,218.40	नियमित (केन्द्रीय जल आयोग से लियन होल्डर)।
19. श्री एस. एस. मैनी प्रबन्धक (डिज़ाइन)	36,453.05	पंजाब सिंचाई विभाग से प्रतिनियुक्ति पर।
20. श्री एन. विश्वानाथन प्रबन्धक (सिविल)	41,136.05	नियमित।
21. श्री आर. पी. मण्डल प्रबन्धक (सिविल)	41,279.30	नियमित (सीमा सड़क विकास बोर्ड से लियन होल्डर)।

4	5	6	7
बी.ई. (सिविल) (25 वर्ष)	10.5.79	48	निदेशक (यू.टी.), केन्द्रीय जल आयोग।
एम.ए., एल.एल.बी., लेबर लॉ, लेबर बेलफेयर, कार्मिक मैनेजमेंट में डिप्लोमा (28 वर्ष)	26.10.78	51	प्रबन्धक (कार्मिक) बी.एच.ई.एल.।
बी.ए., बी.एल., आई.सी.डब्ल्यू.ए. (28 वर्ष)	1.3.78	55	सहायक मुख्य लेखा अधिकारी, आर.ई.सी.लि.।
बी.एस.सी. इंजीनियरिंग (विद्युत) (25 वर्ष)	15.7.77	48	उप निदेशक, केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण।
बी.ई. (सिविल) (26 वर्ष)	10.5.79	51	इण्डियन आर्मी में लैफ्टिनेंट कर्नल (वेस्टर्न कमाण्ड में एस.ओ.आई. कार्मिक)
बी.ई. (विद्युत) (25 वर्ष)	8.9.77	50	कार्यकारी इंजीनियर, बी.एस.एल. परियोजना, सुन्दर नगर।
बी.ई. (विद्युत) (21 वर्ष)	20.5.78	45	कार्यकारी इंजीनियर, उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड।
बी.एस.सी. इंजीनियरिंग (विद्युत) (17 वर्ष)	12.12.79	39	मुख्य अभियन्ता, मैसर्स आर.एस. स्टील वर्क्स, बरेली।
बी.ई. (सिविल) एम.टैक (22 वर्ष)	22.3.79	44	उप निदेशक, केन्द्रीय जल आयोग।
ए.एम.आई.ई., सिविल इंजीनिरी में डिप्लोमा (24 वर्ष)	4.2.80	53	वरिष्ठ डिजाइन इंजीनियर, सिंचाई विभाग, पंजाब।
एम.ई. (सिविल) (17 वर्ष)	17.9.79	41	सहायक मुख्य अभियंता, त्रिवेणी स्ट्रक्चरल लि०, नैनी, इलाहाबाद।
बी.एस.सी. (इंजीनियरिंग) (सिविल) (19 वर्ष)	16.11.79	41	कार्यकारी इंजीनियर, सीमा सड़क विकास बोर्ड (जी.आर.ई.एफ.)।

1	2	3
22. श्री के. एल. जुत्शी वरिष्ठ प्रबन्धक (डी.एच.)	36,342.95	नियमित।
23. श्री पी. वेंकटारमय्या प्रबन्धक (सिविल)	37,001.15	नियमित (केन्द्रीय जल आयोग से लियन होल्डर)।
24. श्री ओ. पी. शर्मा प्रबन्धक (सी एण्ड एम एम)	37,883.75	नियमित।
25. श्री एन. सी. चटर्जी प्रबन्धक (सी)	37,217.80	नियमित।
26. श्री के. एम. नागभूषण प्रबन्धक (सिविल)	38,547.10	नियमित (केन्द्रीय जल आयोग से लियन होल्डर)।
27. मेजर वी. गुलाटी उप प्रबन्धक (सिस्टमस)	48,187.15	सेना से प्रतिनियुक्ति पर।
28. मेजर एम. आर. प्रभाकर उप प्रबन्धक (सी)	43,235 90	सेना से प्रतिनियुक्ति पर।
29. मेजर एस. वर्मा उप प्रबन्धक	43,970.55	सेना से प्रतिनियुक्ति पर।
30. श्री वी० कै० कंजलिया सहायक प्रबन्धक	38,234·30	पंजाब राज्य विद्युत बोर्ड से प्रतिनियुक्ति पर।
लोकतक जल विद्युत परियोजना		
31. श्री जी. डी. त्यागी वरि० प्रबन्धक (सिविल)	44,866.02	उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग से प्रतिनियुक्ति पर।
32. श्री एस. पी. भट्टाचार्यजी उप-प्रबन्धक (सेफ्टी)	37,592.40	नियमित।
33. मेजर ए. के. डोगरा उप प्रबन्धक (सिविल)	43,596.10	भारतीय सेना से प्रतिनियुक्ति पर।
34. डा. ठा. गोपीरमन सिंह वरि. मैडीकल अधिकारी	43,187.80	स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय से प्रतिनियुक्ति पर।

4	5	6	7
एम. टैक., बी.ई. (सिविल) (19 वर्ष)	जून 1973	43	वरिष्ठ लेक्चरार, रीजनल इंजीनियरिंग कालिज, श्रीनगर।
बी.ई. (सिविल) (24 वर्ष)	25.1.80	49	अधीक्षण अभियन्ता, चूखा परियोजना प्राधिकरण, भूटान।
बी.एस.सी. इंजीनियरिंग (सिविल) (19 वर्ष)	24.2.75	43	कार्यकारी इंजीनियर पी.डब्ल्यू.डी., (आर. एण्ड बी.), जम्मू व काश्मीर।
बी.ई. (टैक.) (मैके.) (27 वर्ष)	9.4.80	43	वरिष्ठ अधीक्षक (मैके.), आयरन और माइनिंग कम्पनी।
बी.ई. (सिविल) (22 वर्ष)	31.3.80	46	अधीक्षण अभियंता, चूखा हाइडल परियोजना।
ए.एम.आई.ई. (मैके.) (14 वर्ष)	1.3.80	34	भारतीय सेना में मेजर।
ए.एम.आई.ई. (सिविल) (22 वर्ष)	12.3.79	43	भारतीय सेना में मेजर।
बी.ई. (सिविल) (17 वर्ष)	6.3.79	38	एफ. डी. कम्पनी कमाण्डेड 235 इंजी. रेजीमेंट भारतीय सेना।
एम.एस.सी. (इंजीनियरिंग) (विद्युत) (11 वर्ष)	8.5.79	35	सहायक कार्यकारी अभियन्ता, पंजाब राज्य विद्युत बोर्ड।
बी.ई. (सिविल) (25 वर्ष)	10.2.78	48	कार्यकारी अभियंता, सिंचाई विभाग, उत्तर प्रदेश।
बी.एस.सी. (माइनिंग इंजीनियरिंग) (14 वर्ष)	4.8.78	39	सहायक प्रबन्धक, कोल इण्डिया लिमिटेड।
बी.ई. (सिविल) (14 वर्ष)	24.3.79	38	मेजर, कोप्स ऑफ् इंजीनियर्स, भारतीय सेना।
एम.बी.बी.एस. (31 वर्ष)	18.4.73	56	मेडिकल अधिकारी, भारत सरकार, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, (सी.जी.एच.एस.)।

1	2	3
35. श्री के. मुखर्जी प्रबन्धक (वित्त)	42,489.76	नियमित।
बेरा स्यूल जल-विद्युत परियोजना		
36. श्री ए. एस. चतरथ महा प्रबन्धक	49,770.30	पंजाब पी. डब्ल्यू. डी. सिंचाई ब्रांच से प्रतिनियुक्ति पर।
37. श्री ए. एल. जग्गी वरि. प्रबन्धक	42,276.14	हि. प्र. राज्य विद्युत बोर्ड से प्रतिनियुक्ति पर, 1.12.1980 से समावेषित।
38. श्री वी. ए. केलकर प्रबन्धक	40,338.56	बार्डर रोड डिपार्टमेंट, परिवहन मंत्रालय से प्रतिनियुक्ति पर।
39. मेजर जी. एस. गोत्रा, उप प्रबन्धक	41,468.85	भारतीय सेना से प्रतिनियुक्ति पर।
40. मेजर एस. एस. चौहान उप प्रबन्धक	41,529.50	भारतीय सेना से प्रतिनियुक्ति पर।
सलाल जल-विद्युत परियोजना		
41. श्री बी. पी. मित्तल मुख्य अभियंता	45,927.40	हरियाणा पी. डब्ल्यू. डी. से प्रतिनियुक्ति पर।
42. श्री ए. के. जैन प्रबन्धक (वित्त)	39,096.30	नियमित।
देवीघाट जल-विद्युत परियोजना		
43. श्री पी. एल. पोपली प्रबन्धक (वित्त एवं लेखा)	58,972.08	रेलवे मंत्रालय से प्रतिनियुक्ति पर, 28.9.79 से समावेषित।
44. श्री एम. पी. परसुरमन प्रबन्धक (सिविल)	49,364.32	केन्द्रीय जल आयोग से प्रतिनियुक्ति पर।
45. श्री जी. के. फालिया सहायक प्रबन्ध (विद्युत)	46,259.90	केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण से प्रतिनियुक्ति पर।

4	5	6	7
आई.सी.डब्ल्यू.ए. (24 वर्ष)	25.1.79	45	सहायक वित्त प्रबन्धक, एफ.सी.आई., पी एण्ड डी डिवीजन, सिंदरी।
बी.एस.सी. इंजी. (सिविल) (30 वर्ष)	17.2.78	51	अधीक्षण अभियंता, ब्यास सतुलज लिंक परियोजना।
बी.एस.सी. इंजी. (विद्युत) (19 वर्ष)	2.9.71	41	हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड में कार्यकारी अभियंता।
बी.ई. (मैके.) (16 वर्ष)	23.10.79	43	बॉर्डर रोड डिपार्टमेंट में कार्यकारी अभियंता।
सिविल इंजीनियरिंग में डिग्री (17 वर्ष)	12.3.79	44	भारतीय सेना में मेजर।
सिविल इंजी. में डिग्री (16 वर्ष)	19.3.79	37	भारतीय सेना में मेजर।
बी.ई. (सिविल) (30 वर्ष)	15.5.78	52	अतिरिक्त मुख्य अभियंता, ऊर्जा मंत्रालय।
बी.काम., सी.ए. (12 वर्ष)	28.11.78	35	उप लेखा प्रबन्धक, इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर कोआप० लि०, नई दिल्ली।
बी.ए., ए.आई.सी.डब्ल्यू.ए. (23 वर्ष)	28.9.76	49	अनुभाग अधिकारी, रेलवे मंत्रालय।
बी.ई. (सिविल) (31 वर्ष)	3.9.79	51	उप निदेशक, केन्द्रीय जल आयोग।
बी.ई. (विद्युत) एम.ई. (कन्ट्रोल एण्ड मेजरमेंट) (12 वर्ष)	18.4.79	37	कार्यकारी अभियंता, केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण।

1	2	3
46. श्री आर. बी. गोडबोले सहायक प्रबन्धक (पी. एच. डी.)	45,129,00	केन्द्रीय जल आयोग से प्रतिनियुक्ति पर।
47. श्री बी. के. चावला सहायक प्रबन्धक (वित्त एवं लेखा)	44,369.75	नियमित (ए. जी., हिमाचल प्रदेश व चंडीगढ़ से लियन पर)।
48. श्री डी. एन. भण्डारी लेखा अधिकारी	45,324.00	रेलवे मंत्रालय से प्रतिनियुक्ति पर। 19.6.1980 से समावेषित।
49. श्री एम. के. राजागोपाल अभियंता (सिविल)	41,828.25	केन्द्रीय जल आयोग से प्रतिनियुक्ति पर।
50. श्री बी. एन. छाबड़ा अभियंता (सिविल)	40,295.32	केन्द्रीय जल आयोग से प्रतिनियुक्ति पर।
51. श्री अजीत कुमार अभियंता (सिविल)	39,965.69	केन्द्रीय जल आयोग से प्रतिनियुक्ति पर।
52. श्री आर. डोरायस्वामी अभियंता (सिविल)	39,270·22	केन्द्रीय जल आयोग से प्रतिनियुक्ति पर।
53. श्री के. सी. साहा अभियंता (सी)	39,197.55	केन्द्रीय जल आयोग से प्रतिनियुक्ति पर।
54. श्री एस. एस. बाबरा अभियंता (सी)	38,221.15	केन्द्रीय जल आयोग से प्रतिनियुक्ति पर।
55. श्री आर. सी. चोपड़ा अभियंता (वि.)	37,900.34	केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण से प्रतिनियुक्ति पर।
56. श्री जी. एल. दुआ अभियंता (एम)	37,862.66	केन्द्रीय जल आयोग से प्रतिनियुक्ति पर।
57. श्री एस. एन. कन्सल अभियंता (सी)	37,802.89	केन्द्रीय जल आयोग से प्रतिनियुक्ति पर।
58. श्री रतनसिंह अभियता (सी)	37,450.04	केन्द्रीय जल आयोग से प्रतिनियुक्ति पर।

4	5	6	7
बी.ई. (सिविल) एम. टैक. (21 वर्ष)	5.1.79	43	उप निदेशक, केन्द्रीय जल आयोग।
बी.ए. (आनर्स) (28 वर्ष)	1.12.79	55	लेखा अधिकारी, ए.जी. कार्यालय हिमाचल प्रदेश।
एस.ए.एस. (37 वर्ष)	20.6.77	55	अनुभाग अधिकारी, उत्तरी रेलवे।
एल.सी.ई. (26 वर्ष)	4.2.79	47	सहायक निदेशक, केन्द्रीय जल आयोग।
सिविल इंजी. में डिप्लोमा (24 वर्ष)	1.12.78	44	सहायक अभियंता, केन्द्रीय जल आयोग।
सिविल इंजी. में डिप्लोमा (22 वर्ष)	19.11.79	43	सहायक अभियंता, केन्द्रीय जल आयोग।
एल.सी.ई. (25 वर्ष)	2.1.79	46	सहायक अभियंता, केन्द्रीय जल आयोग।
सिविल इंजी. में डिप्लोमा (16 वर्ष)	1.2.79	37	सहायक अभियंता, केन्द्रीय जल आयोग।
सिविल इंजी. में डिप्लोमा (23 वर्ष)	16.7.79	44	सहायक अभियंता, केन्द्रीय जल आयोग।
विद्युत इंजी. में डिप्लोमा (16 वर्ष)	18.3.79	38	अतिरिक्त सहायक निदेशक/सहायक अभियंता, सी.ई.ए.
नेशनल सर्टीफिकेट कोर्स में (डिप्लोमा) मैकेनिल इंजीनियरिंग (20 वर्ष)	26.6.79	42	सहायक अभियंता, केन्द्रीय जल आयोग।
बी. ई. (सिविल) (10 वर्ष)	1.2.79	36	अतिरिक्त सहायक निदेशक, केन्द्रीय जल आयोग।
ए. एम. आई. ई. (सी) (25 वर्ष)	12.11.79	50	केन्द्रीय जल आयोग में सहायक अभियंता।

1	2	3
59. श्री पी. एस. अरविन्द्रकृष्ण अभियंता (सी)	36,926.44	केन्द्रीय जल आयोग से प्रतिनियुक्ति पर।

(ख) उन कर्मचारियों के ब्यौरे जिन्होंने आंशिक वित्तीय वर्ष के लिए काम किया और जिनका पारिश्रमिक 3000/- रु० प्रतिमास से कम नहीं था।

कारपोरेट कार्यालय

1. श्री आई. सी. गुप्ता महाप्रबन्धक (एस. जी.)	11,894.15	हरियाणा सिंचाई और विद्युत विभाग से प्रतिनियुक्ति पर।
2. श्री एम. एल. स्वामी, महा प्रबन्धक (एस. डी.)	15,944.10	आँध्र प्रदेश सरकार से प्रतिनियुक्ति पर।
3. श्री जी. पी. सिंह महा प्रबन्धक (जेनरेशन)	11,538.65	उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड से प्रतिनियुक्ति पर।
4. श्री डी. एन. राव वरि. प्रबन्धक (पी. एण्ड एम.)	35,866.55	केन्द्रीय जल आयोग से प्रतिनियुक्ति पर।
5. श्री नरेन्द्र सिंह प्रबन्धक (टी.)	10,184.80	सिंचाई विभाग उत्तर प्रदेश से प्रतिनियुक्ति पर।
6. श्री बी.पी. सिंह प्रबन्धक (सी. एण्ड एम. एम.)	30,547.45	सिचाई विभाग, बिहार सरकार से प्रतिनियुक्ति पर।
7. श्री के. के. गुप्ता प्रबन्धक (सी)	39,637.30	सिंचाई ब्रांच, पंजाब सरकार से प्रतिनियुक्ति पर।
8. श्री पी. डी. प्रसाद राव प्रबन्धक (सी)	28,785.80	नियमित (केन्द्रीय जल आयोग से लियन होल्डर)।

4	5	6	7
बी. एस. सी. इंजीनियरिंग (सिविल) (10 वर्ष)	13.9.79	34	सहायक अभियंता, केन्द्रीय जल आयोग।
बी. एस. सी. (इंजीनियरिंग) (29 वर्ष)	15.6.79	58	मुख्य अभियंता, ब्यास कन्सट्रक्शन बोर्ड।
बी. ई. (सिविल) सी. ई. (34 वर्ष)	26.6.79	56	मुख्य अभियन्ता, आंध्र प्रदेश सरकार।
बी. एस. सी. (इंजीनियरिंग) (विद्युत) (21 वर्ष)	2.12.76	45	कार्यकारी अभियंता, उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड।
बी. ई. (मैकेनिकल) (30 वर्ष)	24.5.80	53	निदेशक, केन्द्रीय जल आयोग।
बी. ई. (सिविल) (25 वर्ष)	1.12.76	47	कार्यकारी अभियंता, सिंचाई विभाग, उत्तर प्रदेश।
बी. एस. सी. इंजीनियरिंग (सिविल) (27 वर्ष)	10.4.80	50	अधीक्षण अभियंता, सिंचाई विभाग, बिहार सरकार।
बी. एस. सी. (इंजीनियरिंग) (सिविल) (24 वर्ष)	11.4.80	46	कार्यकारी अभियंता, चूखा हाइडल परियोजना।
बी. ई. (सिविल) (17 वर्ष)	23.6.80	41	उप निदेशक, केन्द्रीय जल आयोग।

1	2	3
9. श्री एम. ग्रार. बन्दोपाध्याय प्रबन्धक (ज्योलॉजी)	10,518.75	भारतीय भूविज्ञान सर्वेक्षण से प्रतिनियुक्ति पर।
10. श्री ग्रार. एन. ठाकुर प्रबन्धक (डी)	24,724.00	हि.प्र. राज्य विद्युत बोर्ड से प्रतिनियुक्ति पर।
11. श्री एम. एल. गुप्ता प्रबंधक	36,281.85	नियमित।
लोकतक परियोजना		
12. श्री आर. के. मल्होत्रा महा प्रबन्धक	44,618.78	पंजाब सिंचाई विभाग से प्रतियुक्ति पर।
देवीघाट परियोजना		
13. श्री ग्रार. रामास्वामी महा प्रबन्धक	5,677.25	केन्द्रीय जल ग्रायोग से प्रतिनियुक्ति पर।

टिप्पणी : (1) उपरोक्त कर्मचारी कम्पनी ग्रधिनियम 1956 की धारा 6 के ग्रर्थों की दृष्टि से निगम के किसी निदेशक के संबंधी नहीं है।

(2) नौकरी की शर्तें वही हैं जो समय-समय पर यथा स्थिति, कम्पनी पर लागू सरकारी नियम एवं अधिनियमों द्वारा निर्धारित होती हैं।

(3) उपरोक्त सूची में निर्दिष्ट पदनाम कर्मचारियों द्वारा अदा की गई ड्यूटियों के प्रकार को दर्शाते हैं।

4	5	6	7
एम. एस. सी. (एपलाइड ज्योलाजी) (18 वर्ष)	29.12.80	45	वरिष्ठ ज्योलॉजिस्ट, भारतीय भूविज्ञान सर्वेक्षण ।
बी.एस.सी. इंजीनियरिंग (विद्युत) (13 वर्ष)	7.5.79	44	कार्यकारी अभियन्ता, हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड ।
बी.एस.सी. (इंजीनियरिंग) (मैकेनिकल) (14 वर्ष)	29.4.80	36	उप प्रबन्धक, बी.एच.ई.एल. ।
बी.एस.सी. (इंजीनियरिंग) आनर्स (सिविल) (28 वर्ष)	7.4.80	52	अधीक्षण अभियंता, व्यास कन्स्ट्रक्शन बोर्ड ।
बी.ई. (सिविल) (32 वर्ष)	19.12.78	55	एस.ई./निदेशक (एस.जी.) केन्द्रीय जल आयोग ।

(4) (क) पारिश्रमिक में ये बातें शामिल हैं : कारपोरेशन द्वारा लीज़ किए गए आवास की लागत, जहाँ लागू हो, पी. एफ. में नियोक्ता का अंशदान इत्यादि ।

(ख) ग्रेच्यूटी राशि को नहीं गिना गया है क्योंकि उसकी व्यवस्था जीवन बीमा निगम से तय ग्रेच्यूटी तथा जीवन बीमा निगम पालिसी के आधार पर की गई है।

(ग) देवीघाट परियोजना के कर्मचारियों के मामले में पारिश्रमिक में विदेशी भत्ता आदि भी शामिल है ।

31-3-1981 का तुलन-पत्र

ब्यौरे	अनुसूची	
निधियों के स्रोत		
1. हिस्सेदारों की निधि		
क) पूँजी	'क'	97,99,13
ख) आरक्षित तथा अधिशेष	'ख'	3,08,12
2. अनुदान	'ग'	
3. ऋण निधियां		
अनारक्षित ऋण	'घ'	
जोड़		
निधियों का उपयोग		
1. स्थिर परिसम्पत्तियाँ	'ङ'	
कुल ब्लॉक		26,04,62
घटाएं : मूल्य-ह्रास		7,04,40
शुद्ध ब्लॉक		
2. चालू पूंजीगत कार्य	'च'	
3. चालू परिसम्पत्तियां, ऋण तथा पेशगियाँ	'छ'	
क) सम्पत्ति सूचियां		6,11,73
ख) नकद व बैंक शेष		6,62,22
ग) विभिन्न देनदार		84,09
घ) अन्य चालू परिसम्पत्तियाँ		22,85
ङ) ऋण तथा पेशगियाँ		9,76,49
		23,57,38
4. घटाएं : चालू देयताएं व व्यवस्थाएं	'ज'	
क) देयताएं		12,41,66
ख) व्यवस्थाएँ		—
जोड़		12,41,66

(रुपए हजारों में)

31-3-1981 को स्थिति	31-3-1980 को स्थिति	
	83,37,63	
1,01,07,25	2,38,52	85,76,15
20,95		—
1,13,88,89		95,73,99
2,15,17,09		1,81,50,14
	19,46,87	
	4,12,92	
19,00,22		15,33,95
1,84,71,11		1,56,64,20
	5,33,98	
	6,37,74	
	—	
	11,93	
	9,92,32	
	21,75,97	
	12,51,39	
	4,73	
	12,56,12	

31-3-1981 का तुलन पत्र

ब्यौरे	अनुसूची
शुद्ध चालू परिसम्पत्तियाँ	
5. बट्टे खाते में डाला गया या समंजित न हुआ की सीमा तक विविध खर्च	'झ'
जोड़	
लेखा तथा आकस्मिक देयताओं की टिप्पणी	'ट'

अनुसूची 'क' से 'ठ' तक तथा लेखा नीतियां, लेखों का अभिन्न अंग है।

नई दिल्ली,
दिनांक : 21 सितम्बर, 1981

एन० वी० रामन
सचिव

31-3-1981 को स्थिति	31-3-1980 को स्थिति
11,15,72	9,19,85
30,04	32,14
2,15,17,09	1,81,50,14

वी० सुब्रामनियन
निदेशक (वित्त)

पी० एम० बेलिअप्पा
अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक

हमारी संलग्न अलग रिपोर्ट के अनुसार
कृते आर० के० खन्ना एण्ड कम्पनी
चार्टर्ड एकाऊंटैंट्स

अनिल के० खन्ना
भागीदार
23 सितम्बर, 1981

31-3-1981 की समाप्ति पर निर्माण के दौरान प्रासंगिक खर्चों का विवरण

(रुपये हजारों में)

		31-3-1981 को स्थिति		31-3-1980 को स्थिति
कर्मचारियों का पारिश्रमिक तथा लाभ				
वेतन, मजदूरी, भत्ते तथा लाभ	1,97,66		1,54,13	
विदेश सेवा अंशदान	9,23		4,01	
भविष्य निधि अंशदान	11,50		3,46	
उपादान निधि अंशदान	41,15		73	
स्टाफ कल्याण व्यय	13,57	2,73,11	12,13	1,74,46
मरम्मत व रख-रखाव				
भवन	23,27		15,65	
मशीनरी व निर्माण उपस्कर	24,12		91,65	
अन्य	57,80	1,05,19	46,51	1,53,81
यात्रा व वाहन खर्चे (विदेश यात्रा के लिए 1,36,335 रु० सहित)		24,80		17,88
स्टाफ कार पर व्यय		18,61		6,22
डीजल पावर हाउस व्यय		—		20,04
ऊर्जा उत्पादन के लिए मुआवजा		5,07		—
ट्रांसपोर्ट खर्चे		59,70		44,74
निदेशकों की फीस व बैठक व्यय		—		11
किराया		20,11		11,84
निवास के लिए किराया		6,26		2,56
दरें व कर		3,22		1,39
बीमा		1,46		1,14
बिजली प्रभार		3,48		2,41
जल प्रभार		13		8
टेलीफोन, टेलेक्स, डाक तथा तार व्यय		7,48		8,41
विज्ञापन		7,97		4,41
डिजाइन व परामर्श		11,07		90
मनोरंजन खर्चे		54		44
छपाई व लेखन सामग्री		11,34		8,66

31-3-1981 की समाप्ति पर निर्माण के दौरान प्रासंगिक खर्चों का विवरण (क्रमशः)

	31-3-1981 को स्थिति	31-3-1980 को स्थिति
प्रशिक्षण खर्चे	2,90	1,27
लेखा परीक्षा फीस (1979-80 के लिए 10,000/- रु० सहित)	40	30
लेखा परीक्षा पर खर्चे	22	16
सरकारी ऋणों पर ब्याज	8,97,23	7,16,84
बैंक प्रभार व ब्याज	33	51
मूल्य ह्रास	2,91,47	3,09,14
अन्य खर्चे	47,17	20,40
	17,99,26	15,08,12
घटाएं : प्राप्तियाँ व वसूलियाँ		
विद्युत ऊर्जा की बिक्री	84,05	—
रद्दी सामग्री की बिक्री	7,95	4,06
बिजली प्रभार	48,94	3,46
टैंडर फार्मों का मूल्य	47	68
संयंत्र एवं मशीनरी का किराया व्यय	1,28	4,87
जल प्रभार	13	10
किराया	2,72	1,01
आवधिक जमा व बचत खाता पर ब्याज	19,54	18,75
ऋणों व पेशगियों पर ब्याज	1	15
विविध प्राप्तियाँ व वसूलियाँ	6,88	7,75
आस्थगित राजस्व खर्चे में हस्तान्तरित कोयलकारो परियोजना के लिए डिजाइन प्रभार	—	2,10
	1,71,97	42,93

31-3-1981 की समाप्ति पर निर्माण के दौरान प्रासंगिक खर्चों का विवरण (क्रमशः)

	31-3-1981 को स्थिति	31-3-1980 को स्थिति
शुद्ध खर्च	16,27,29	14,65,19
घटाएं : (i) चल रहे पूंजी कार्यों पर आबंटित मरम्मत व रख-रखाव व्यय	—	1,46,77
(ii) चल रहे पूंजी कार्य को हस्तान्तरित डिजाइन प्रभार	20,50	—
	16,06,79	13,18,42

टिप्पणी : 1. मनोरंजन तथा विदेश यात्रा पर खर्च जैसा कि प्रबन्ध द्वारा प्रमाणित है।

2. उपर्युक्त खर्च में निदेशकों को अदा की गई निम्न राशियाँ शामिल हैं :

i)	वेतन व भत्ते	—	रु०	45,285
ii)	छुट्टी भुनाना	—	रु०	18,600 (ए.जी.सी.आर. से प्राप्त 16,800 रुपये भी शामिल हैं)
iii)	भविष्य निधि के लिए अंशदान	—	रु०	4,224
iv)	निवास के लिए किराया	—	रु०	9,210
v)	चिकित्सा प्रतिपूर्ति	—	रु०	1,768
vi)	छुट्टी यात्रा रियायत	—	रु०	1,752
vii)	यात्रा खर्च	—	रु०	48,740

3. उपर्युक्त के अलावा पूर्णकालिक निदेशक को 100 रु० प्रतिमास की अदायगी पर 500 किलोमीटर तक की पदीय यात्रा और निजी यात्राएं करने की भी अनुमति दी गई।

एन० वी० रामन	वी० सुब्रामनियन	पी० एम० बेलिअप्पा
सचिव	निदेशक (वित्त)	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

हमारी संलग्न अलग रिपोर्ट के अनुसार
कृते आर० के० खन्ना एण्ड कम्पनी

अनिल के० खन्ना
भागीदार
23 सितम्बर, 1981

नई दिल्ली
दिनांक : 21 सितम्बर, 1981

निर्माण के दौरान प्रासंगिक व्यय के आबंटन का विवरण

(रुपए हजारों में)

ब्यौरे	31-3-1981 की समाप्ति पर		31-3-1980 की समाप्ति पर	
वर्ष के दौरान प्रासंगिक व्यय के विवरण के अनुसार शुद्ध खर्च।		16,06,79		13,18,42
निम्न को आबंटित :				
क) ट्रांसमिशन कंस्ट्रक्शन यूनिट (डिपाजिट कार्य)				
1. गंगतोक-मेल्ली-कालिम्पोंग	1,79		1,09	
2. गंगतोक-दिक्चू	1		91	
3. लीमातक-जिरीबाम	1,08		3,23	
4. रामनगर-गंडक	30		1,29	
5. सिगरौली-कानपुर	13,31	16,49	16,34	22,86
ख) एजेंसी आधार पर परियोजनाएं :				
1. सलाल परियोजना	46,06		21,26	
2. देवीघाट परियोजना	8,37	54,43	9,12	30,38
ग) अन्वेषण परियोजनाएँ :				
चमेरा परियोजना		5		—
घ) अपनी परियोजनाएँ :				
1. बैरा स्यूल परियोजना				
(क) प्रत्यक्ष व्यय	8,63,70		8,27,45	
(ख) कारपोरेट कार्यालय का हिस्सा	20,07	8,83,77	10 35	8,37,80
2. लोकतक परियोजना				
(क) प्रत्यक्ष व्यय	6,25,90		4,18,78	
(ख) कारपोरेट कार्यालय का हिस्सा	14,08	6,39,98	8,60	4,27,38

निर्माण के दौरान प्रासंगिक व्यय के आबंटन का विवरण (क्रमशः)

(रुपए हजारों में)

ब्यौरे	31-3-1981 की समाप्ति पर		31.3.1980 की समाप्ति पर
3. कोयल कारो परियोजना			
(क) प्रत्यक्ष व्यय	10,34		—
(ख) कारपोरेशन कार्यालय का हिस्सा	69	11,03	—
4. दुलहस्ती परियोजना :			
(क) प्रत्यक्ष व्यय	21		—
(ख) कारपोरेट कार्यालय का हिस्सा	5	26	—
5. चूखा ट्रांसमिशन कंस्ट्रक्शन परियोजना			
(क) प्रत्यक्ष व्यय	71		—
(ख) कारपोरेट कार्यालय का हिस्सा	7	78	—
		16,06,79	13,18,42

शेयर पूंजी

अनुसूची 'क'

(रुपए हजारों में)

	31-3-1981 को स्थिति	31-3-1980 को स्थिति
प्राधिकृत पूंजी 20,00,000 इक्विटी शेयर—1000/- रु० प्रति शेयर	**2,00,00,00**	2,00,00,00
निर्गमित, अभिदत्त व प्रदत्त पूंजी 1000/- रु० प्रति शेयर की दर से पूरे प्रदत्त 9,79,913 इक्विटी शेयर (इसमें से 6,29,529 शेयर नकद प्राप्ति के अतिरिक्त कन्सीड्रेशन में नियत कर दिए गए और एक शेयर का नियतन नकदी के अलावा पार्ट कन्सीड्रेशन के लिए किया गया)	**97,99,13**	83,37,62
शेयर पूंजी डिपाजिट भारत सरकार से नकद प्राप्त राशि लोकतक परियोजना के लिए 400/- रु० व 600/- रु० मूल्य के जिनकी खरीद के बदले में कोई आंशिक राशि प्राप्त नहीं हुई, शेयर का नियतन प्रतीक्षित ।	—	1
	97,99,13	83,37,63

आरक्षित तथा अधिशेष

अनुसूची 'ख'

(रुपए हजारों में)

	31-3-1981 को स्थिति		31-3-1980 को स्थिति	
पूंजी आरक्षित				
1. मणिपुर सरकार से लिफ्ट सिंचाई घटक के लिए अंशदान				
पिछले तुलन पत्र के अनुसार शेष	**2,38,52**		2,01,28	
वर्ष के दौरान संकलन	**69,60**		37,24	
		3,08,12		2,38,52

अनुदान

अनुसूची 'ग'

(रुपए हजारों में)

		31-3-1981 को स्थिति	31-3-1980 को स्थिति
जल-विद्युत परियोजनाओं के अन्वेषण के लिए अनुदान			
कोयल कारो		5,00	—
दुलहस्ती		5,00	—
चमेरा	15,00		
घटाएं : वर्ष के लिए खर्च	4,05	10,95	—
		20,95	—

अनारक्षित ऋण

अनुसूची 'घ'

(रुपए हजारों में)

	31-3-1981 को स्थिति	31-3-1980 को स्थिति
1. भारत सरकार से ऋण	113,88,89	83,17,44
2. भारत सरकार के ऋणों पर उपचित व देय ब्याज	—	12,56,55
	113,88,89	95,73,99

स्थिर परिसम्पत्तियाँ

ब्यौरे	1.4.1980 को सकल ब्लॉक	बढ़ोत्तरी/ समंजन	कटौतियां बिक्री/ हस्तान्तरण
1	2	3	4
भूमि	29,48	24,77	—
आवासीय भवन	4,75,13	71,66	2,09,08
गैर-आवासीय भवन	1,71,63	17,76	7,46
सड़कें तथा पुल	3,53	6,45,66	—
संयंत्र तथा मशीनरी	9,50,82	3,17,76	2,21,24
गाड़ियाँ व अन्य परिवहन	1,15,24	5,15	—
कार्यालय फर्नीचर व फिक्सचर	17,32	4,37	5
कार्यालय उपस्कर व अन्य उपकरण	17,52	6,07	—
ट्रांसमिशन लाइनें	91,60	—	—
गली बत्ती फिटिंग	3,53	—	—
संचार उपस्कर	10,95	1,68	4,39
विविध उपस्कर	56,13	2,00	—
अन्य परिसम्पत्तियाँ	3,99	3,09	—
जोड़	19,46,87	10,99,97	4,42,22
पिछले वर्ष के आँकड़े :	8,84,70	10,66,85	4,68

अनुसूची 'ङ'

(रुपए हजारों में)

31.3.1981 को सकल ब्लॉक	31.3.1981 को कुल ह्रास	31.3.1981 को शुद्ध ब्लॉक	31.3.1980 को शुद्ध ब्लॉक
5	6	7	8
54,25	**—**	**54,25**	29,48
3,37,71	**72,16**	**2,65,55**	4,23,93
1,81,93	**28,64**	**1,53,29**	1,53,54
6,49,19	**63,73**	**5,85,46**	3,50
10,47,34	**4,24,34**	**6,23,00**	6,69,68
1,20,39	**32,00**	**88,39**	94,60
21,64	**2,17**	**19,47**	15,90
23,59	**3,35**	**20,24**	15,72
91,60	**26,50**	**65,10**	78,40
3,53	**42**	**3,11**	3,32
8,24	**57**	**7,67**	10,77
58,13	**49,84**	**8,29**	31,44
7,08	**68**	**6,40**	3,67
26,04,62	**7,04,40**	**19,00,22**	15,33,95
19,46,87	4,12,92	15,33,95	—

चालू पूँजोगत कार्य

अनुसूची 'च'

(रुपए हजारों में)

ब्यौरे		31.3.1981 को स्थिति	31.3 1980 को स्थिति
सर्वेक्षण, अन्वेषण, परामर्श और अन्य प्रारम्भिक व्यय		52,42	34,60
भवन व सिविल इंजीनियरी कार्य		5,13,87	8,33,69
संचार		60,84	87,07
हाइड्रॉलिक कार्य बाँध, बैराज, सुरंग व पावर चैनल सहित		98,83,04	85,35,04
पेनस्टाक		1,68,92	1,38,74
जनरेटिंग स्टेशन में संयंत्र व मशीनरी		26,84,84	25,68,46
विद्युत प्रतिष्ठान		1,24,50	23,86
सहायक कार्य		5,65,84	5,61,72
ट्रंक ट्रांसमिशन लाइनें		3,66,97	3,66,97
निर्माण के दौरान प्रासंगिक व्यय :			
पिछले वर्ष का पिछला शेष :	25,14,05		
वर्ष के लिए हस्तान्तरित राशि	15,35,82	40,49,87	25,14,05
		1,84,71,11	1,56,64,20

चालू परिसम्पत्तियाँ, ऋण व पेशगियाँ

अनुसूची 'छ'

(रुपए हजारों में)

ब्यौरे			31.3.1981 को स्थिति	31.3.1980 को स्थिति
1. **सूचियाँ** (जनरल लेजर और अनुमानित लागत के अनुसार)				
स्टोर व फालतू पुर्जे (अनुमानित लागत)			**6,11,73**	5,33,98
2. नकदी व शेष				
i) नकदी, अग्रदाय, पोस्टल आर्डर व डाक टिकटें			**2,03**	1,19
ii) अनुसूचित बैंकों में शेष।				
बचत बैंक खाते			**5,00,86**	2,08,16
आवधि खाता (अल्प अवधि खाता)			**1,00,00**	4,00,00
iii) गैर अनुसूचित बैंकों में शेष चालू खाते	**वर्ष के दौरान अधिकतम शेष** **1980-81**	1979-80		
नेपाल राष्ट्र बैंक, काठमाण्डू	**53,97**	65,09	**2,81**	16,30
नेपाल बैंक लि०, त्रिसूली	**56,52**	14,67	**56,52**	12,09
3. अन्य चालू परिसम्पत्तियाँ				
i) जमा राशियों पर उपचित ब्याज			**6,76**	6,60
ii) कार्यशाला व जनरल सस्पैंस			**16,09**	5,33
4. विभिन्न देनदार				
i) छः मास से अधिक अवधि के लिए बकाया ऋण (कन्सीडर्ड गुड)	**39,53**			
ii) छः मास से कम अवधि के लिए अन्य ऋण (कन्सीडर्ड गुड)	**44,56**		**84,09**	

	31-3-1981 को स्थिति	31-3-1980 को स्थिति
5. ऋण व पेशगियाँ		
नकद या माल में या प्राप्त मूल्य में वसूली योग्य पेशगियाँ		
—सुरक्षित (कन्सीडर्ड गुड)	2,21	24
—असुरक्षित (कन्सीडर्ड गुड)	9,52,31	9,91,27
ऋण		
—कर्मचारियों को (सुरक्षित)	6,89	81
6. कस्टम और पोर्ट ट्रस्ट प्राधिकरण में शेष	15,08	—
	23,57,38	21,75,97

टिप्पणी : i) 678.11 लाख रुपये (पिछले वर्ष 628.31 लाख रुपए) मूल्य की पेशगियाँ पूंजी कार्य के लिए हैं।

ii) सरकारी कम्पनियों जिनमें इस कम्पनी के निदेशक, निदेशक हैं से 38.53 लाख रुपए की राशि के ऋण देय हैं।

चालू देयताएं व व्यवस्थाएं

अनुसूची 'ज'

(रुपए हजारों में)

ब्यौरे	31.3.1981 को स्थिति	31.3.1980 को स्थिति
देयताएं		
1. फुटकर लेनदार	**1,95,83**	3,35,89
2. डिपाजिट कार्यों की न खर्च की गई राशि		
i) गंगतोक ट्रां०कं० यूनिट	**48,30**	1,05,63
ii) लीमातक-जिरीबाम ट्रां०कं० यूनिट	**31,20**	30,50
iii) गंडक-रामनगर ट्रां०कं० यूनिट	**21,78**	26,63
iv) सिंगरौली-कानपुर ट्रां०कं० यूनिट	**20,37**	33,63
3. एजेंसी आधार पर परियोजना निष्पादन के लिए भारत से प्राप्त डिपाजिटों का न खर्चा शेष :		
i) सलाल जल विद्युत परियोजना	**1,09,41**	85,14
ii) देवीघाट जल-विद्युत परियोजना	**1,65,03**	2,21,60
4. ठेकेदारों व अन्यों से रोकी गई जमा राशि	**62,83**	52,06
5. अन्य देयताएं	**2,89,86**	1,36,81
6. भारत सरकार से ऋणों पर उपचित ब्याज परन्तु जो अभी दिया नहीं गया	**2,97,05**	2,23,50
व्यवस्थाएं		
1. उपादान के लिए व्यवस्था	—	4,73
	12,41,66	12,56,12

अनुसूची 'ज' का अनुबन्ध—डिपाजिट कार्यों तथा

क्र. सं.	ब्यौरे	राशि डिपाजिट	31.3.1980 तक खर्च
क)	**डिपाजिट कार्य**		
	ट्रांसमिशन कंस्ट्रक्शन यूनिटें		
	1. गंगतोक से मेल्ली-कालिम्पोंग	3,50,97	2,22,43
	2. गंगतोक से दिक्चू	57,68	46,24
	3. लीमातक—जिरीबाम	3,05,90	2,19,80
	4. रामनगर— गंडक	1,77,30	1,40,36
	5. सिंगरौली—कानपुर	23,01,19	16,02,11
ख)	**एजेंसी आधार पर परियोजनाएँ**		
	1. सलाल परियोजना (ट्रांसमिशन कंस्ट्रक्शन यूनिट, जम्मू सहित)	78,75,82	46,49,64
	2. देवीघाट परियोजना	13,30,10	5,93,50

एजेंसी आधार पर परियोजनाओं के ब्यौरे

(रूपये हजारों में)

वर्ष के दौरान खर्च	वर्ष के दौरान खर्च में कारपोरेट कार्यालय का हिस्सा	31.3.1981 तक कुल खर्च	खर्च न हुई राशि
89,33	1,79	**3,13,55**	37,42
55	1	**46,80**	10,88
53,82	1,08	**2,74,70**	31,20
14,86	30	**1,55,52**	21,78
6,65,40	13,31	**22,80,82**	20,37
30,70,71	46,06	**77,66,41**	1,09,41
5,63,20	8,37	**11,65,07**	1,65,03

टिप्पणी : ट्रांसमिशन कंस्ट्रक्शन यूनिटों तथा एजेंसी आधार पर परियोजनाओं पर खर्च केवल नकद खर्च दर्शाता है और इसमें देवीघाट परियोजना के एक मामले को छोड़कर जिसमें 10.95 लाख रुपये की राशि का एक ड्राफ्ट 31.3.81 को वापस आ गया था और जिसके लिए नए सिरे से अदायगी करने की व्यवस्था के वास्ते देयता का प्रबंध करना पड़ा, किए गए अन्य उपचित खर्च शामिल नहीं है । फिर भी खर्च में ये शामिल हैं : स्टाफ को पेशगियां, सप्लायरों, ठेकेदारों को पेशगियां, डिपाजिट तथा इस्तेमाल न हुए स्टाक आदि ।

विविध व्यय

अनुसूची 'झ'

(रुपये हजारों में)

	31.3.1981 को स्थिति	31.3.1980 को स्थिति
बट्टे खाते न डाले गये या समंजन न किए गए की सीमा तक का विविध खर्च		
1. प्रारम्भिक व्यय	30,04	30,04
2. आस्थागित राजस्व व्यय	—	2,10
	30,04	32,14

व्याख्यात्मक टिप्पणियाँ

1. निगम की अपनी परियोजनाएं निर्माण की अवस्था में हैं और अन्य जल-विद्युत परियोजनाओं तथा ट्रांसमिशन कंस्ट्रक्शन यूनिटों के संबंध में यह केवल ऊपरी खर्च वसूल कर रही है इसलिए कोई लाभ व हानि लेखा तैयार नहीं किया गया है। कम्पनी अधिनियम, 1956 की अनुसूची VI के भाग-II के अन्तर्गत अपेक्षित सूचना निर्माण के दौरान प्रासंगिक खर्चों के विवरण में दी गई है।

2. 14.09 लाख रु० तक की आकस्मिक देयताएं (पिछले वर्ष 146.89 लाख रु०) कम्पनी के जिम्मे उन दावों के बारे में विद्यमान हैं जिन्हें अभी तक ऋण नहीं माना गया है।

3. ऐसे पूंजी लेखों पर निष्पादित होने वाले उन ठेकों जिनकी राशि की व्यवस्था नहीं की गई है, की अनुमानित राशि 1180.78 लाख रु० है (पिछले वर्ष अनुमानित राशि 232.05 लाख रु० थी)

4. (क) ट्रांसमिशन कंस्ट्रक्शन लाइनों के निर्माण कार्य, राज्य सरकारों, राज्य बिजली बोर्डों और सरकारी उद्यमों की ओर से डिपाजिट कार्यों के तौर पर लिए हुए हैं। अभी पूरे होने वाले कार्यों का अनुमानित मूल्य 389.16 लाख रु० है (पिछले वर्ष 1199.42 लाख रु० था)

(ख) सलाल और देवीघाट स्थित जल-विद्युत परियोजनाओं का निर्माण कार्य भारत सरकार की ओर से लिया गया है। अभी पूरे होने वाले कार्य का अनुमानित मूल्य 9058.30 लाख रु० है (पिछले वर्ष 12426.41 लाख रु० था।

5. वर्ष के दौरान कारपोरेट कार्यालय का खर्च विनियोजन ट्रांसमिशन कंस्ट्रक्शन यूनिटों में प्रत्येक यूनिट पर हुए प्रत्यक्ष व्यय का 2% की पूर्व निर्धारित दर पर किया गया है। शेष राशि अनुपातिक रूप से निगम की अपनी परियोजनाओं तथा डिपाजिट कार्यों के तौर पर निष्पादित की जा रही अन्य जल-विद्युत परियोजनाओं में किया गया है।

6. निगम को 31.3.1981 तक चमेरा अन्वेषण परियोजना के अन्वेषण कार्यों के लिए (15 लाख रु०) दुलहस्ती परियोजना के लिए (5 लाख रु०) और कोयल कारो परियोजना के लिए (5 लाख रु०) अनुदान के रूप में प्राप्त हुए। जिसमें से चमेरा के लिए अनुदान चमेरा के अन्वेषण कार्य पर हुए व्यय की कटौती करने के पश्चात लेखों में दर्शाया गया है, दुलहस्ती और कोयल कारो के अनुदान की राशि देयताओं में पूरी-पूरी दिखाई गई है और इन परियोजनाओं पर होने वाला व्यय निगम द्वारा परियोजनाओं पर किए गए व्यय के रूप में दिखाया गया है, क्योंकि सरकार ने इन परियोजनाओं को निगम को सौंप दिया है।

7. निगम को कोयल कारो, दुलहस्ती और चूखा ट्रांसमिशन लाइन परियोजनाओं के लिए भारत सरकार से निधि प्राप्त नहीं हुई।

8. महाराष्ट्र के कोंकण क्षेत्र में प्रस्तावित जल-विद्युत परियोजनाओं के सर्वेक्षण के लिए नैशनल रिमोट सेंसिंग एजेंसी को 9.00 लाख रु० का भुगतान किया गया। इस राशि को चालू परिसम्पत्तियों में उचन्त शीर्ष के अधीन खाते में दर्शाया गया है।

9. (क) भारत सरकार के ऋणों पर पिछले वर्ष तक 10.5% की दर से ब्याज दिया गया था। सरकार ने 31.3.1981 को 10.25% की दर से ब्याज की 2080.40 लाख रुपये की राशि जिसमें इक्विटी पूंजी 1461.50 लाख रु०, ऋण पूंजी 618.90 लाख रुपये शामिल हैं, पूंजी में बदलने की अनुमति दे दी।

(ख) पिछले वर्ष 35.20 लाख रुपये की राशि जिसकी अधिक व्यवस्था थी को इस वर्ष के दौरान समायोजित किया गया।

10. बैरा स्यूल परियोजना की हस्तान्तरित कीमत सेल डीड के अनुसार खाते में ले ली गई है। सेल डीड और ऊर्जा मंत्रालय द्वारा जारी स्वीकृति पत्र के आँकड़ों में इक्विटी शेयर पूंजी में 10 लाख रुपये का और ऋण पूँजी में 6.63 लाख रुपये का अन्तर पाया गया। स्वीकृति पत्र मे दिए गए आंकड़ों को पुनरीक्षित करने के लिए मंत्रालय को कहा गया है।

11. निर्माण के दौरान आकस्मिक व्यय में भारत सरकार से लिए गए ऋणों पर 897.23 लाख रुपये की ब्याज की राशि शामिल है (पिछले वर्ष 716.84 लाख रु०)।

12. (i) उपदान की देयताएं जीवन बीमा निगम को अपेक्षित प्रीमियम की अदायगी से पूरी की गई। इस मद पर 31.3.1981 तक की देयताएं 45.84 लाख रु० आँकी गई, जिनके लिए खातों में व्यवस्था की गई थी और यह 1981-82 में पूरीं कर दी गई।

(ii) उपदान नियमों के संशोधन से परियोजना के हस्तान्तरण से पूर्व पात्र कर्मचारियों द्वारा की गई सेवा भी शामिल हो गई है, जिसकी देयताओं का अभी हिसाब लगाना है ताकि भारत सरकार से इसकी वसूली की जा सके।

13. निगम ने आय का संचालन आरम्भ नहीं किया है। बोनस सक्षम अधिनियम के अधीन बोनस देय नहीं है। इसलिए बोनस के लिए कोई प्रावधान नहीं रखा गया है।

14. पार्टियों के नामे/जमा की राशियों तथा ठेकेदारों और निर्माताओं को दिए गए स्टाक को संपुष्टि/समाधान किया जाना है।

15. पिछले वर्ष के आँकडे चालू वर्ष के आंकड़ों से मेल खाने के लिए जहां तक व्यवहार्य था उचित रूप से पुन: व्यवस्थित कर दिए गए हैं।

16. भारत सरकार से ली गई परियोजनाओं के बारे में परिसम्पत्तियों और देयताओं का हस्तान्तरण मूल्य जैसा कि भारत सरकार ने निर्धारित किया निगम की बहियों में ले लिया गया था। बैरा स्यूल और लोकतक दोनों परियोजनाओं के बारे में हस्तान्तरण तिथि को जो-जो परिसम्पत्तियाँ थी उनके विभिन्न अवयवों की कीमत का विस्तृत सत्यापन कार्य शुरू किया गया था, लोकतक परियोजना में आवश्यक समायोजना/पुनवर्गीकरण निरन्तर किया जा रहा है। बैरा स्यूल परियोजना के बारे में भी आवश्यक परिवर्तन कर दिए जायेगें। जब समीक्षा पूर्ण हो जायेगी और परिसम्पत्तियों के हस्तान्तरण मूल्य में यदि कोई परिवर्तन हुआ तो भारत सरकार से बात की जायेगी।

17. निगम को परियोजनाएं हस्तान्तरित होने की तारीख को भारत सरकार से वसूली जाने वाली/को देय शेष रकमों को फैलाने के लिए केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग की लेखा पद्धति के अन्तर्गत ऋण, डिपाज़िट और धन परिषणों के तहत डिवीजनल अफसरों द्वारा बुक किए गए सौंदों का विश्लेषण किया जा रहा है। जहाँ तक विश्लेषण पूरा हो गया है केन्द्रीय सरकार से वसूलियाँ की जा रही हैं।

18. (क) भूमि की कीमत में मुआवजा और अन्य आकस्मिक खर्चों के तौर पर की गई अनन्तिम/आरम्भिक अदायगी सम्मिलित हैं। मुआवजों के बारे में अंतिम लेखे संबंधित प्राधिकारियों से अभी आने हैं।

(ख) खातों के अनुसार भूमि के मूल्य का बैरा स्यूल परियोजना में रखे जाने वाले भूमि रजिस्टर से मिलान किया जा रहा है। लोकतक परियोजना में भूमि रजिस्टर नहीं रखा गया क्योंकि मणिपुर सरकार से सम्बद्ध ब्यौरे एकत्र नहीं हो पाये थे।

(ग) भूमि की हकदारी अभी निगम को प्राप्त नहीं हुई है क्योंकि अभी कानूनी कार्रवाई पूरी करनी शेष है।

19. (क) निगम की बैरा स्यूल और लोकतक परियोजनाओं में इस्तेमाल की जाने वाली परिसम्पत्तियों का जायजा लेने के लिए एक समीक्षा की जा रही है। समीक्षा में जिस सीमा तक पता चला उन इस्तेमाल में आने वाली परिसम्पत्तियों को पूंजीगत चालू निर्माण कार्य से स्थिर परिसम्पत्तियों में हस्तान्तरण कर दिया गया है। फिर भी ऐसे उदाहरण भी हैं जिनमें परिसम्पत्तियों का इस्तेमाल तो हो रहा है लेकिन उनका पूंजीकरण नहीं किया गया है जैसा कि बैरा स्यूल परियोजना के बारे में ट्रकों के मामले में है जिसके लिए 33.25 लाख रुपये अदा किए गए थे।

(ख) बैरा स्यूल परियोजना में, वास्तविक कीमत की सूचना तुरन्त उपलब्ध न होने के कारण, परिसम्पत्तियों का हस्तान्तरण पूंजीगत चालू निर्माण कार्यों से स्थिर परिसम्पत्तियों में अनन्तिम रूप से कर दिया गया है और इसका समायोजन बाद में कर दिया जाएगा। उचित दर पर मूल्य ह्रास के बारे में समायोजन जो कि समीक्षा के परिणामस्वरूप आवश्यक है, बाद में कर दिया जाएगा।

20. (क) लोकतक परियोजना में 217.56 लाख रुपये विविध उपस्कर से औजारों और उपस्कर शीर्ष में मूल वाउचरों से आवश्यक ब्यौरे प्राप्त करने के बाद हस्तांतरित कर दिए गए। मूल वाउचर संबंधित महा लेखाकार के कार्यालय में होने के कारण लेखा परीक्षकों के सम्मुख सत्यापन के लिए प्रस्तुत नहीं किए जा सके।

(ख) विविध उपस्कर शीर्ष के अधीन दर्शायी गई 81.92 लाख रुपए की शेष राशि अधिग्रहण से पूर्व अवधि की है जिसके लिए ब्यौरे एकत्र किए जा रहे हैं। जब तक ब्यौरे एकत्र नहीं हो जाते, मूल्य ह्रास अनन्तिम आधार पर प्रावधान कर दिया गया है।

21. लोकतक परियोजना में सड़कों, पुलों, पुलियों और भवनों के हस्तान्तरण पूर्व की शेष राशियों के ब्यौरों का यथा संभव परिसम्पत्तियों-वार संकलन मूल वाउचरों से किया गया है। मूल वाउचर संबंधित महा लेखाकार के कार्यालय में होने के कारण लेखा परीक्षकों के सम्मुख सत्यापन के लिए प्रस्तुत नहीं किए जा सके।

22. सड़क, पुल, और पुलिया, जो निगम की भूमि पर नहीं है, पर किए गए खर्च की राशि सुनिश्चित नहीं की गई।

23. (क) बैरा स्यूल परियोजना में स्थिर परिसम्पत्तियों का वास्तविक सत्यापन प्रशासनिक समस्याओं के कारण एन.एच.पी.सी. द्वारा आलोच्य वर्ष के दौरान पूरा नहीं किया जा सका।

(ख) लोकतक परियोजना में केवल वाहनों, औजारों और निर्माण उपस्कर का वास्तविक सत्यापन किया गया था। वास्तविकता यह है कि परिसम्पत्तियों के रजिस्टरों को पूरा किया जा रहा है और इसलिए वास्तविक सत्यापन के परिणामों का समाधान खण्डों द्वारा रखे गए मात्रात्मक रजिस्टरों से किया गया है।

24. पूंजीगत चालू कार्यों/स्थिर परिसम्पत्तियों के संबंध में सहायक बहियों और नियंत्रण लेखों के मध्य समाधान किया जा रहा है।

25. बैरा स्यूल परियोजना में पूंजीगत चालू कार्य शीर्ष के अन्तर्गत उल्लिखित पृथक परिसम्पत्तियाँ जिनमें संयंत्र, मशीनरी और उपस्कर आदि सम्मिलित हैं के बारे में ब्यौरे निकाले जा रहे हैं।

26. दो व्हील डोजर, जिन्हें पूंजीकृत कर दिया गया है, के आयात के बारे में आयात शुल्क और पोर्ट ट्रस्ट प्रभार संबंधी आवश्यक विवरण संबद्ध प्राधिकारियों से अभी प्राप्त नहीं हुए हैं। इसलिए इस मद में अदा की गई 15 लाख रुपए की राशि पंजीकृत/समायोजित नहीं की गई।

27. (क) ऐसी परिसम्पत्तियों जिन्हें इस वर्ष पूंजीकृत किया गया है लेकिन उनका इस्तेमाल पिछले वर्षों से हो रहा था और ऐसी परिसम्पत्तियों का एक भाग जिन पर मूल्य ह्रास पहले अनन्तिम आधार पर लगाया गया था, के पिछली अवधि के मूल्य ह्रास की राशि 227.87 लाख रुपये है।

(ख) परिसम्पत्तियां, जिनके लिए निगम ने मूल्य ह्रास की दरें निर्धारित नहीं की थी उनके मूल्य-ह्रास के लिए अनन्तिम आधार पर प्रावधान कर दिया गया है।

(ग) मूल्य ह्रास की व्यवस्था के तरीके के बारे में कम्पनी अधिनियम 1956 लागू होगा या भारतीय विद्युत (आपूर्ति) अधिनियम 1948 लागू होगा, इस विषय में पुनरीक्षण किया जाएगा। पुनरीक्षण पूरा हो जाने के बाद वर्ष 1981-82 के खातों में मूल्य ह्रास की व्यवस्था में आवश्यक संशोधन कर दिया जाएगा।

28. लोकतक परियोजना में आपरेटिंग स्टोर्स के बारे में और बैरा स्यूल परियोजना में कैपिटल स्टोर्स और आपरेटिंग स्टोर्स दोनों के बारे में प्राइस स्टोर्स लेजर्स पूरे नहीं हैं। 31-3-81 की स्थिति के अनुसार इन मदों की कीमत सूची उपलब्ध न होने से खातों में दर्शायी गई शेष राशियां संबंधित यूनिटों के जनरल लेजर के अनुसार हैं।

29. कार्य स्थल पर रखे गए और इस्तेमाल न हुए पूंजीगत औजारों का स्टॉक (राशि का पता नहीं लगाया गया) चालू निर्माण कार्य को प्रभारित कर दिया है।

30. लोकतक परियोजना में 18.00 लाख रुपए के असमंजित औजारों का विश्लेषण यह पता लगाने के लिए किया जा रहा है कि ये किसी प्रकार के पूंजीगत औजार हैं या नहीं। समीक्षा पूरी होने पर अंतिम रूप से समायोजन किया जायेगा।

31. सामग्री जिसका कलकत्ता कार्यालय में निरीक्षण किया गया और निगम के ट्राँसपोर्टरों द्वारा ढोई गई, 31-3-1981 तक मार्गस्थ सामग्री के रूप में नहीं दिखाई गई है बल्कि सप्लायरों (राशि मालूम नहीं) की पेशगियों के रूप में दर्शायी गई है। वर्ष 1981-82 के दौरान लेखों में आवश्यक समायोजन कर दिया जायेगा।

32. परियोजनाओं में रद्दी टुकड़ों के अंश की कीमत आंकी गयी है और लेखे में डाली गई है। शेष रद्दी टुकड़ों का आवश्यक समायोजन अगले वर्ष किया जायेगा।

33. परियोजनाओं पर पड़े फालतू सामान और अप्रचलित स्टॉक की पहचान नहीं हो पाई है क्योंकि परियोजनाओं में बड़े जोर-शोर से निर्माण कार्य चल रहा है।

34. बैरा-स्यूल परियोजना में ठेकेदारों को दिए गए औजारों के रूप में दिखाई गई 110.01 लाख रुपए की शेष राशि नामे राशि की शुद्ध राशि है। (राशि मालूम नहीं)। इस लेखा शीर्ष के विवरणों का

संकलन और समाधान नहीं हुआ है क्योंकि हस्तांतरण से पूर्व की शेष राशियों का विश्लेषण करना शेष है। विवरणों को संकलित करने और पूंजीगत चालू कार्य और ठेकेदारों के लेखों में आवश्यक समायोजन करने के लिए प्रयत्न किए जा रहें हैं।

35. बैरा स्यूल परियोजना में "गोदामों के बीच स्थानांतरण" शीर्ष के अन्तर्गत आने वाले स्टॉक की 51.55 लाख रुपये की शेष राशि या तो गलत वर्गीकरण या विभागों से समायोजन की प्राप्ति न होने के परिणाम स्वरूप है। इस शेष राशि के मदवार विवरण विश्लेषणाधीन हैं। गलत वर्गीकरण और असमायोजना के परिणामी प्रभाव हैं जिसमें या तो स्टॉक की लागत में या पूंजीगत चालू कार्यों में कमी करनी होगी।

36. बैरा स्यूल परियोजना में ठेकेदारों की खाता बहियों, ठेकेदारों/सप्लायरों के पेशगी रजिस्टरों ओर अन्य सम्बद्ध रिकार्डों का मुख्य बहियों से समाधान किया गया ताकि निर्माण कार्यों में सम्मिलित किए जाने वाली असमायोजित राशियों के सही आँकड़ों का पता चल सके।

37. बैरा स्यूल परियोजना में सप्लायरों और ठेकेदारों को पेशगी भुगतान की 105.90 लाख रुपये की शेष राशि, जमा शेष का शुद्ध जोड़ निकालने के बाद दिखाई गई है। शेष राशियों की सूची का सामान्य खाता बहियों से समाधान किया जाना है। जमा शेषों का पुनरीक्षण किया जा रहा है ताकि पूंजीगत चालू निर्माण कार्य और अन्य लेखों में इनका आवश्यक समायोजन किया जा सके और इनकी सहीस्थिति दर्शायी जा सके।

38. बैरा स्यूल परियोजना में कार्यशाला उचन्ती शीर्ष के अन्तर्गत उल्लिखित 4.40 लाख रूपये की शेष राशि गाड़ियों और उपकरणों के रख-रखाव व मरम्मत पर किया गया व्यय है। आवश्यक विवरण उपलब्ध न होने के कारण इनका सम्बद्ध खातों में समायोजन नहीं किया जा सका।

39. बैरा स्यूल परियोजना में विभागीय पेशगी के रुप में दर्शायी गई 23.14 लाख रुपए की शेष राशि का सामान्य खाता बही से समाधान किया जाना हैं। राशियों का सम्बद्ध विवरण खातों से उद्धत नही किया गया है।

40. लोकतक और बैरा स्यूल परियोजनाओं में निर्माण प्रभाग के सम्बद्ध रजिस्टरों का सामान्य खाता बहियों के साथ समाधान न हो पाने के कारण स्टाफ को दी गई पेशगियों से सम्बद्ध विवरण (16.37 लाख रुपए की राशि) तैयार नहीं हो सका है।

41. बैरा स्यूल परियोजना में अन्य सरकारी विभागों के पास जमा 1.03 लाख रुपए की राशियों के विवरणों का विशलेषण किया जा रहा है ताकि इन जमा राशियों की प्रकृति निर्धारित की जा सके।

42. बैरा-स्यूल और लोकतक परियोजनाओं में सरकार और अन्य विभागों से वसूली योग्य दावों की वसूली के बारे में मामला सम्बद्ध प्राधिकरणों के साथ विचाराधीन है। इन राशियों को शंकालु या अप्राप्य नहीं समझा जाता।

43. लोकतक परियोजना म सामान की प्राप्ति और खपत के बारे में निर्माण प्रभाग से सूचना प्राप्त न होने से खाता बहियों में आवश्यक दायित्वों की व्यवस्था और सप्लायरों को दी गई पेशगी के साथ इनका समायोजन सभी मामलों में नहीं हो सका है। यह असमायोजित राशियां (राशि सुनिश्चित नहीं है) सप्लायरों/ठेकेदारों को दी गई पेशगियों से अधिक हैं।

44. बैरा स्यूल परियोजना में सामान की पूर्ति के लिए विविध लेनदारों के बारे में पूरक बहियों का सामान्य खाता बही के साथ समाधान किया जाना है। पूरक खातों में उल्लिखित विविध लेनदारों के लिए 117.58 लाख रुपए की राशि का और 163.87 लाख रुपए की नामे शेष राशि के साथ विश्लेषण और समायोजन करना शेष है। सामान के लिए विविध लेनदारों के नाम दिखाई गई 33.29 लाख रु० की राशि नामे राशि घटाने के बाद शुद्ध रूप में है। विश्लेषण पूरा हो जाने पर खातों में संबंधित समायोजन कर दिया जाएगा।

45. विविध लेनदार (अन्य) और निर्माण कार्य के विविध लेनदारों के बारे में पूरक खातों का सामान्य खाता बही के साथ समाधान किया जा रहा है।

46. बैरा स्यूल परियोजना में ठेकेदारों/सप्लायरों से प्राप्त प्रतिभूति जमा और अग्रिम धन की 43.78 लाख रुपये की राशि की विस्तृत अनुसूची नहीं बनाई जा सकी क्यों कि इसमें मदों की संख्या काफी बड़ी थी और इसलिए, नियंत्रण खातों के साथ इनका समाधान नहीं हो सका था।

47. बैरा स्यूल परियीजना में अन्य देयताओं के लिए प्रभाग से प्राप्त सूचना के आधार पर 53.38 लाख रुपये की व्यवस्था की गई थी लेकिन इनके विवरण लेखा परीक्षकों के समक्ष सत्यापन के लिए प्रस्तुत नहीं किए जा सके।

48. बैरा स्यूल परियोजना में, तुलन पत्र के "मैटिरियल परचेज सस्पैन्स" और "जनरल सस्पैन्स" शीर्षों के अधीन आने वाली शेष राशियों का विश्लेषण किया जा रहा है ताकि उनका आवश्यक समायोजन किया जा सके।

49. बैरा स्यूल परियोजना में भारी वर्षा तथा भूस्खलन के कारण हुई क्षति अनुमानतः 64 लाख रुपये है। अन्य क्षतियाँ दुर्घटनाओं, अशुद्धियों और कमियों आदि के कारण लगभग 49.42 लाख रुपए है। फिर भी अभी मामलों की जाँच हो रही है और अन्तिम समायोजन जाँच पूरी हो जाने के बाद ही हो सकेगा।

50. बैरा स्यूल परियोजना में चालू पूंजीगत कार्य के अन्तर्गत कुछ परिसम्पित्तियों में हुई लगभग 7.32 लाख रुपये की हानि के बारे में आलोच्य वर्ष के दौरान लेखा सम्बन्धी समायोजन नहीं किया गया जिसके लिए निदेशक मंडल ने बही खाते करने की मंजूरी दे दी थी। इसका कारण यह था कि इसमें संबंधित परिसम्पत्तियों का उपकरण के अनुसार पृथक-करण नहीं हो पाया था।

51. बैरा स्यूल परियोजना में पिछले वर्ष 36.69 लाख रुपये की शेष राशि विद्युत उचन्त खाते में रखी गई जिसका अन्तरण "वसूल किए गए विद्युत प्रभार" शीर्ष के अन्तर्गत प्राप्तियाँ और वसूलियों में किया गया।

52. बैरा स्यूल परियोजना में विद्युत के उत्पादन को प्रयोगात्मक आधार पर समझा जाता है क्योंकि विद्युत उत्पादन मशीनें टीपिंग समस्या को दूर करने के लिए परीक्षणाधीन है और क्यों कि जब तक पूरा डैम बन कर तैयार नहीं हो जाता पानी की नियमित निकासी नहीं की जा सकती और न ही इसकी पूरी उत्पादन क्षमता साबित की जा सकती है।

53. वर्ष 1980-81 को देयताएं जो कि निर्धारित तिथि अर्थात् 30 अप्रैल, 1981 तक ज्ञात थी, के लिए व्यवस्था की गई थी। बैरा स्यूल और लोकतक परियोजनाओं से सम्बन्धित लगभग 23.57 लाख रु० तथा 67.60 लाख रु० की देयताओं के बारे में

निर्धारित तिथि के बाद ही पता चला, जब कि परियोजनाओं के लेखों को अंतिम रूप दिया जा रहा था, कोई व्यवस्था नहीं की जा सकी ।

54. लोकतक परियोजना के ट्रांसमिशन लाइनों में कतिपय स्थानों पर ए.सी.एस.आर. एल्मुनियम कंडक्टर (पंथर) की चोरी हो गई थी । इस सम्बन्ध में हुए नुकसान के लिए आवश्यक समायोजन, अन्वेषण और क्षति का जायजा लेने के पश्चात् ही किया जाएगा ।

55. लेखे मूलतः निदेशक मण्डल द्वारा 25-8-1981 को स्वीकार कर लिए गए परन्तु भारत के नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक द्वारा किए गए लेखा परीक्षाओं की टिप्पणियों के परिणामस्वरूप इन लेखों को परिशोधित किया गया है । सरकारी लेखा परीक्षा की टिप्पणियों के परिणामों को नोट सं० 18(ग), 23(क), 27(ग), 53, 54, और अनुसूची "ग" के उपाबद्ध के नीचे दिए गए नोट—एजेंसी आधार पर निक्षेप निर्माण कार्य तथा परियोजनाओं में शामिल किया जा चुका है ।

अनुसूची 'ठ'

कम्पनी अधिनियम, 1956 की अनुसूची VI के भाग II के अन्तर्गत अपेक्षित अतिरिक्त सूचना

		1980-81	1979-80
1. कर्मचारियों पर खर्च			
उन कर्मचारियों पर खर्च जो यदि वर्ष भर नियुक्त रहे तो 36,000/- रु० प्रति वर्ष से कम वेतन नहीं लेते या वर्ष के किसी अंश के लिए नियुक्त रहे तो 3000/- रु० प्रति मास से कम वेतन नहीं लेते ।			
क) पूरे वर्ष भर नियुक्त रहे			
i) कर्मचारियों की संख्या		21	7
ii) वेतन व मजदूरी	(रु०)	8,91,653	2,80,164
iii) परिलब्धियों का मूल्य	(रु०)	20,855	6,883
ख) वर्ष के आंशिक भाग के लिए नियुक्त रहे			
i) कर्मचारियों की संख्या		7	7
ii) वेतन व मजदूरी	(रु०)	1,50,347	1,57,543
iii) परिलब्धियों का मूल्य	(रु०)	1,239	---

(इसमें सलाल व देवीघाट परियोजनाओं पर नियुक्त कर्मचारी शामिल नहीं हैं । ये दोनों परियोजनाएँ एजेंसी आधार पर पूरी की जा रही हैं और इन कर्मचारियों का वेतन भारत सरकार से प्राप्त डिपाजिटों में डाला जाता है न कि निर्माण के दौरान निगम के प्रासंगिक व्यय में) फिर भी सलाल व देवीघाट परियोजनाओं की सूचना नीचे दी जा रही है :

		1980-81		1979-80	
		सलाल	देवीघाट	सलाल	देवीघाट
क) पूरे वर्ष भर नियुक्त रहे					
i) कर्मचारियों की संख्या		2	17	1	5
ii) वेतन व मजदूरी	(रु०)	73,898	7,16,140	36,413	2,22,156
iii) परिलब्धियों का मूल्य	(रु०)	5,408	—	3,036	—

अनुसूची 'ठ' (क्रमशः)

	1980-81 सलाल	1980-81 देवीघाट	1979-80 सलाल	1979-80 देवीघाट
ख) वर्ष के आंशिक भाग के लिए नियुक्त रहे				
i) कर्मचारियों की संख्या	—	6	—	3
ii) वेतन व मजदूरी (रु०)	—	24,114	—	10,616
iii) परिलब्धियों का मूल्य (रु०)	—	—	—	—

टिप्पणी : 1. उपदान की रकम हिसाब में नहीं ली गई है क्योंकि उसकी व्यवस्था जीवन बीमांककीय के आधार पर बीमा निगम से ली गई उपदान तथा जीवन बीमा पालिसी के आधार पर की गई है।

2. देवीघाट के कर्मचारियों के पारिश्रमिक में विदेश भत्ता शामिल है।

	1980-81	1979-80
2. विदेशी मुद्रा में हुआ खर्च	रु०	रु०
i) जानकारी	9,41,845	20,63,727
ii) अन्य मामले		
क) टेंडरों की खरीद	378	2,323
ख) पुस्तकें, मियादी पत्रिकाएँ व जरनल्स	18,184	6,509
ग) विदेशी दौरे	78,191	16,290
3. अतिरिक्त पुर्जों और अवयवों का मूल्य (प्रयुक्त हुए देशी तथा आयातीत दोनों)	**उपलब्ध नहीं**	
4. आयातीत संयंत्र व मशीनरी तथा स्पेयर्स का मूल्य	76,78,139	1,20,08,469
5. लाइसेंस/संस्थापित क्षमता तथा वास्तविक उत्पादन	**लोकतक**	**बैरा स्यूल**
i) लाइसेंस क्षमता	लागू नहीं	लागू नहीं
ii) संस्थापित क्षमता	—	2x60 मे०वा० (जांचाधीन)
iii) वास्तविक उत्पादन	—	337.75 लाख यूनिट

टिप्पणी : सभी मामलों में आयात मूल्य की गणना सी.आई.एफ. के आधार पर नहीं की गई है।

लेखा नीतियाँ

1. मूल्य ह्रास :

अचल परिसंपत्तियों पर मूल्य ह्रास की व्यवस्था सीधी रेखा विधि पर परिसंपत्तियों के शेष मूल्य की मूल कीमत के 10 प्रतिशत पर रखते हुये की जाती है। मूल्य ह्रास के प्रयोजन के लिए विभिन्न परिसंपत्तियों की जीवन अवधि निम्न से अपनाई गई :-

i) ऊर्जा मन्त्रालय (विद्युत विभाग) गजट अधिसूचना सं० जी.एस.आर. 272 (ई) दिनांक 27-3-1979 और

ii) भारत सरकार, केन्द्रीय जल आयोग द्वारा जारी गाइड पुस्तिका की अनुबद्ध सूची।

कुछ उपस्कर जैसे एल्पाइन माइनर, कन्टीन्यूअस कंक्रीटिंग मशीने, टेलिस्कोपिक शटर्स, आदि के मामले में जीवन विधि द्वारा किए गए निर्धारण के आधार पर ली गई है। जहाँ तक दूसरी तथा तीसरी श्रेणी के भवनों का सम्बन्ध है, जीवन अवधि सरकारी उद्यम कार्यालय द्वारा जारी गाइडलाइन्स (अधिसूचना सं० बी.पी.ई. (15)-ए.डी.वी.-एफ.आई.एन./69 दिनांक 8-8-1969) में निर्दिष्ट दरों के आधार पर ली गई है।

जैसा की दिनांक 27-3-1979 की गजट अधिसूचना में व्यवस्था है, पूरे वर्ष का मूल्य ह्रास उस लेखा वर्ष से वसूला जाता है जिसके बाद की परिसंपत्ति विशेष प्रयोग में आनी शुरु हुई।

2. मूल्यन :

क) पूंजीगत कार्य के लिए भण्डार का अन्तर-परियोजना/अन्तर—यूनिट स्थानान्तरण का मूल्यन लागत पर किया जाता है।

ख) एक यूनिट से दूसरे को स्थानान्तरित निर्माण संयंत्र व मशीनरी का मूल्यन लागत पर किया जाता है। इसमें मूल कीमत दर्शाते हुए वह मूल्य ह्रास कम कर दिया जाता है जिसकी व्यवस्था उस परियोजना द्वारा पहले से ही की गई होती है जिसने कि संयंत्र और मशीनरी स्थानान्तरित की है।

3. उपदान :

सेवा उपदान पर प्रति वर्ष आने वाली देयताएँ जीवन बीमा निगम से ली गई पालिसी की अपेक्षित किस्त का भुगतान करके पूरी की जाती हैं।

उपदान नियमों में संशोधन करने से परियोजना के हस्तान्तरण से पूर्व पात्र कर्मचारियों द्वारा की सेवा भी उपदान योजना के अन्तर्गत शामिल हो गई है।

4. विनिमय दर :

आयातित उपस्कर/सेवाओं के लिए अदायगी के लिए देयता का आंकन अदायगी की तारीख को प्रचलित विनिमय दर के संदर्भ में होता है।

5. वर्गीकरण :

वर्गीकरण आमतौर पर वास्तविक लेखा शीर्षों के अनुसार होता है।

6. पूंजीगत चालू कार्यों का अचल परिसंपत्ति लेखा में स्थानान्तरण :

पूंजीगत चालू कार्यों से अचल संपत्तियों में सम्पूर्ण परिसंपत्तियों का स्थानान्तरण लागत/अनन्तिम लागत पर किया जाता है।

7. डिजाइन व्यय का आबंटन :

निगम मुख्यालय में परियोजना से संबन्धित डिजाइन खर्चों का आबंटन संबंधित परियोजनाओं को दी गई सेवाओं की मात्रा पर आधारित होता है।

लेखा परीक्षकों की सदस्यों को रिपोर्ट

हमने मैसर्स नैशनल हाइड्रोइलैक्ट्रिक पावर कारपोरेशन लि० के 31 मार्च 1981, के अनुबद्ध तुलन पत्र तथा निगम के उसी तारीख को समाप्त होने वाले प्रासंगिक व्यय के विवरण का लेखा परीक्षण किया है। ये लेखे निदेशक मण्डल ने मूल रूप से 25 अगस्त, 1981 को स्वीकार किए और हमने इन पर 27 अगस्त, 1981 को रिपोर्ट दी। जैसा कि अनुसूची 'ट' के नोट 55 में बताया गया है, लेखे संशोधित किए गए हैं और संशोधित लेखों पर रिपोर्ट नीचे दी जा रही है :-

1. कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 227 (4क) के अन्तर्गत कम्पनी विधि बोर्ड द्वारा जारी किए गए निर्माता व अन्य कम्पनी (लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट) आदेश, 1975 के अनुसार पैरा 4 और 5 में निर्दिष्ट मामलों पर विवरण संलग्न अनुबंध में प्रस्तुत है।
2. ऊपर पैरा 1 के परिशिष्ट में अभिव्यक्त हमारी टिप्पणियों के रहते हुए हमारी शिकायत इस प्रकार है :

   जम्मू कशमीर की सलाल जल-विद्युत परियोजना, जिसकी देखभाल निगम भारत सरकार के एक एजेण्ट के रूप में कर रहा है, के लेखों में यह देखा गया है कि, भारी कीमत वाले यंत्र और उपस्कर, भारत सरकार द्वारा सलाल परियोजना के लिए जारी की गई निधियों में से खरीदे गए हैं ताकि इनका प्रारम्भिक इस्तेमाल निगम की निजी परियोजना बैरा स्यूल में किया जा सके।

   इन यन्त्रों और उपस्करों के एक बड़े हिस्से के लिए टेण्डर आमन्त्रित किए गए थे और उनको खरीदने के आदेश सीधे ही बैरा स्यूल परियोजना ने दिये थे और उन उपस्करों की प्राप्ति भी सीधे ही बैरा स्यूल परियोजना को हुई थी, परन्तु इनके लागत का भार सलाल परियोजना के ऊपर डाल दिया गया। हमारी प्रबन्ध अधिकारियों से हुई चर्चा से यह भी मालूम हुआ कि यह निर्णय निदेशक मण्डल द्वारा लिया गया। वस्तुतः सलाल परियोजना की निधियों का उपयोग बैरा स्यूल परियोजना के लिए करने के प्रश्न का स्पष्टीकरण संतोषजनक रूप से नहीं दिया गया। तारीख 19 मई, 1978 को सरकार के साथ निगम द्वारा निष्पादित करार की धारा VI (जी) में इस बात की स्पष्ट व्याख्या की गई है कि भारत सरकार द्वारा आबंटित निधि का उपयोग "पूर्णतः और केवल" सलाल परियोजना के लिए ही किया जाएगा और ऐसी निधियों का प्रयोग अथवा उपयोग निगम किसी भी दशा में किसी अन्य कार्य, उद्देश्य अथवा परियोजना के लिए नहीं करेगा।

   इस तथ्य पर मैनेजमेंट ने किसी प्रकार का कोई उल्लेख नहीं किया है कि सलाल परियोजना की निधियों और परिसम्पत्तियों के लिए करना, उपरोक्त धारा का स्पष्ट उल्लंघन है।

   हमारी उपर्युक्त टिप्पणी के अधीन हम रिपोर्ट करते हैं कि :—

   क) उपरोक्त पैराग्राफ 2 में संदर्भित स्पष्टीकरण को छोड़कर हमने सभी सूचनाएँ व स्पष्टीकरण प्राप्त कर लिए हैं जो हमारी जानकारी व विश्वास के अनुसार हमारे लेखा परीक्षा के प्रयोजनों के लिए आवश्यक थे;

   ख) जहाँ तक निगम के लेखों की जांच से मालूम होता है हमारी राय में निगम ने कानून द्वारा अपेक्षित समुचित लेखे रखे हैं;

   ग) निगम का तुलन पत्र और इस रिपोर्ट से संबंधित निर्माण के दारान प्रासंगिक व्यय

के ब्यौरे तथा लेखा पुस्तकों में अनुकूलता है।

घ) हमारी राय व जानकारी तथा हमें प्रस्तुत किए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार सम्बन्ध लेखे, लेखा नीतियों तथा उनकी अंग व्याख्यात्मक टिप्पणियों और निम्न बातों के अधीन इन लेखों के अन्तर्गत अपेक्षित :

टिप्पणियाँ :

नं० 16 परिसम्पत्तियों व देयताओं के अपेक्षित अंतरण मूल्य के समायोजन/पुनर्वर्गीकरण के बाबत;

नं० 19 (क) और (ख) प्रयोग में आने वाली परिसम्पत्तियों का पूंजीकरण न करना और परिसम्पत्तियों का अनन्तिम लागत पर पूंजीकरण करने के बाबत :

नं० 20 (क) और (ख) 217.56 लाख रुपये मूल्य के उपकरणों और उपस्करों के अन्तरण को सत्यापित न करना और विविध उपस्कर तथा उनके मूल्य ह्रास शीर्ष के अन्तर्गत दर्शाये गए 81.92 लाख रुपए मूल्य का ब्यौरा न मिलना;

नं० 21 और 22 सड़कों, पुलों, पुलियों और भवनों के ब्यौरों का सत्यापन न करना तथा उस जमीन पर बनाए गए मार्गों और पुलों पर व्यय की गई धनराशि की जानकारी को सुस्पष्ट न करना जो निगम का जमीन पर नहीं है;

नं० 24 पूंजीगत चालू काम/अचल परिसम्पत्तियों से सम्बन्धित सहायक पुस्तिकाओं और नियंत्रण लेखों का समाधान न करना;

नं० 26 दो पट्टियों वाले डोजियरों पर लगने वाले आयात शुल्क और अन्य प्रभार का पूंजीकरण न करना;

नं० 27 (ख) अनन्तिम आधार पर मूल्य ह्रास की व्यवस्था के बाबत;

नं० 28 साधारण लेजर के शेषों को चालू उपलब्ध सामग्री दर्शाया और उचित अभिलेखों की अनुपस्थिति में सामग्री की मात्रा और उसके मूल्य निर्धारण के आधार का सत्यापन न करना ;

नं० 29 बिना इस्तेमाल किये पूंजीगत औजारों को चल रहे काम में इस्तेमाल किया दिखाना;

नं० 30 लोकतक परियोजना के 18.44 लाख रुपए के औजारों का समाधान न मिलना;

नं० 32 परियोजना में पड़े रद्दी टुकड़ों के कुल मूल्य को हिसाब किताब में न लेना;

नं० 33 अप्रचलित, क्षतिग्रस्त और काम में न आने वाले औजारों का हिसाब तय न करना;

नं० 34 "ठेकेदारों को दिए गए औजारों" को शुद्ध जमा शेषों को निकालने के बाद दर्शाया और इसके परिणामस्वरूप "ठेकेदारों को जारी किए गए औजारों" के ब्यौरे को कम करके दिखाना तथा चालू निर्माण कार्य/अचल परिसम्पत्तियों से सम्बन्धित ब्यौरों को या तो बढ़ाकर दिखाना या ठेकेदारों के लेखों को असमायोजित दिखाना;

नं० 35 जमा लेखा अन्तरण में और उससे प्रभावित सामग्री और चालू निर्माण कार्य के मूल्यों के बीच त्रुटिपूर्ण वर्गीकरण आदि करना;

नं० 36 कार्यों में लम्बित समावेशन के असमायोजित मामलों की स्थिति जानने के लिए ठेकेदारों के लेखों का समाधान करना;

नं० 37 ठेकेदारों और सप्लायर्स को दी गई पेशगियां शुद्ध जमा शेषों को निकालने के बाद

दर्शाना और उसके परिणामस्वरूप "ठेकेदारों और सप्लायर्स को दी गई पेशगियों से प्रभाषित चालू निर्माण कार्य/अचल परिसम्पत्तियों के ब्यौरों को या तो बढ़ाकर दिखाना या ठेकेदारों के लेखों का समायोजन न करना;

नं० 39 और 40 नकद व अन्य रूप से वसूल की जाने वाली पेशगियों के अन्तर्गत विभागीय और कर्मचारियों को दी गई पेशगियों का समाधान न करना और उनका सत्यापन न करना;

नं० 43 खरीद-दारी ओर उपयोग में लाई जाने वाली वस्तुओं के लेखे न रखने और इसके परिणामस्वरूप सप्लायर्स/ठेकेदारों को दिए जाने वाली पेशगियों के लेखों पर प्रभाव की बाबत;

नं० 44 और 45 "फुटकर लेनदारों" के विकलन शेषों को शुद्ध रूप में निकालने के बाद दर्शाना और उससे प्रभाषित फुटकर लेनदारी के लेखों के ब्यौरों को कम करके दिखाना तथा सहायक लेजरों का आम लेजर में नियंत्रण लेखों का मिलान न करना;

नं० 47 अन्य प्रकार की देयताओं के ब्यौरों के उपलब्ध न करवाना तथा उससे प्रभाषित आँकड़ों का सत्यापन न करना;

नं० 49, 50 और 54 टिप्पणियों में बताए गए कारणों से बैरा स्यूल परियोजना और लोकतक परियोजना में क्षतियों के लिए व्यवस्था न करने के संबंध में;

नं० 53 91.17 लाख रु० की राशि की देयताओं की कोई व्यवस्था न होने के सम्बन्ध में; और निजी यात्राओं के लिये निदेशकों को कम्पनी कार की सुविधा दिए जाने पर हुए 5,040 रु० के व्यय को न दिखाए जाने के अध्याधीन-कम्पनी अधिनियम 1956 के अधीन विधि प्रणाली द्वारा वांछित जानकारी दें और उसकी;

i) 31 मार्च, 1981, को निगम के कार्यों से सम्बन्धित तुलन पत्र के मामले में, और

ii) निर्माण के दौरान आकस्मिक व्यय से सम्बन्धित ब्यौरों और वर्ष की उस तारीख को समाप्त वर्ष के दौरान किया गया व्यय और संविभाजन व्यय के मामले में सत्य और सुस्पष्ट रूपरेखा प्रस्तुत करें।

कृते आर०के० खन्ना एण्ड कम्पनी
चार्टर्ड एकाऊंटैन्टस

नई दिल्ली
दिनांक 23 सितम्बर 1981.

अनिल के० खन्ना
भागीदार

लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट का अनुबन्ध

संदर्भ : हमारी रिपोर्ट का पैरा 1

1· निगम ने परिसम्पत्तियों के मुख्य भागों जो कि अचल परिसम्पत्तियों के लेखे में स्थानान्तरित किये गये हैं, के उचित रिकार्ड रखे हैं। कुछ मामलों में कतिपय परिस्थितिय ब्यौरों को छोड़कर रजिस्टरों में रखा गया रिकार्ड परिसम्पत्तियों की पूर्ण जानकारी देता है। फिर भी लखों के 19 (क) और (ख) तथा 20 (ग) में उल्लिखित टिप्पणियों में बताये गये अनुसार कुछेक प्रयोग में लाई जा रही हैं, परिसम्पत्तियों को पूंजीगत न मानकर, रजिस्टरों में अचल सम्पत्ति के रूप में दिखाया गया है। कुछ परिसम्पत्तियों की अनन्तिम लागत को पूंजीगत दिखाया गया है और अचल परिसंपत्तियों के अन्तर्गत आने वाली कुछ मद की पृथक अवयवों के ब्यौरे उपलब्ध नहीं हैं अतः इन परिसम्पत्तियों से सम्बन्धित रजिस्टर पूर्ण नहीं हैं।

अचल परिसम्पत्तियों के प्रत्यक्ष सत्यापन के काम के सम्बन्ध में वर्ष के दौरान निगम मुख्यालय की परिसम्पत्तियों का और लोकतक परियोजना में कुछ परिसम्पत्तियों का सत्यापन किया गया और इस सत्यापन के दौरान निगम मुख्यालय में किसी प्रकार की गम्भीर विसंगतियां नहीं पाई गई। जैसा कि लेखा की टिप्पणी 23 (ख) में स्पष्ट किया गया है लोकतक परियोजना में परिसम्पत्तियों के रजिस्टरों का वर्ष के दौरान प्रत्यक्ष सत्यापन के परिणामों के साथ मिलान नही किया गया और बैरा स्यूल परियोजना में वर्ष के दौरान परिसंपत्तियों का प्रत्यक्ष सत्यापन नहीं किया गया जिसके परिणामस्वरूप दोनों परियोजनाओं में पाई जाने वाली विसंगतियों का अभिज्ञान नहीं किया जा सका है।

2. इस वर्ष के दौरान किसी भी प्रयोगाधीन अचल परिसम्पत्ति का पुनर्मूल्यांकन नहीं किया गया है।

3. प्रबन्धक मण्डल ने यह प्रमाणित किया है कि प्रभागों में पड़े कुछ स्टाक को छोड़कर, संचालित औजारों, पूंजीगत औजारों और अतिरिक्त पुर्जों का वर्ष के दौरान सतत सम्पत्ति-सूची प्रणाली के आधार पर प्रत्यक्ष सत्यापन किया गया है। फिर भी समुचित पुस्तकीय रिकार्ड की अनुपस्थिति में कमी/अधिकता का निर्धारण नहीं किया गया है और इसलिये आंकड़ों के अन्तरो का समुचित समायोजन नही किया गया है। जैसा कि लेखा टिप्पणी सं० 28 में स्पष्ट किया गया है एक परियोजना के पूँजीगत औजारों को छोड़कर, दोनों परियोजनाओं के औजारों के स्टाक और अतिरिक्त पुर्जे आम लेजर में दिये गये शेषों के अनुसार लेखों में दर्शाये गये हैं। समुचित लेखा पुस्तकों के अभाव में हमारे लिये यह सम्भव नहीं है कि हम सम्पत्ति-सूची के मूल्य निर्धारण के आधार पर कोई टिप्पणी कर सकें। फिर भी मैनेजमेंट ने यह प्रमाणित किया है कि स्टॉक का मूल्य निर्धारण अनुमानित लागत के आधार पर किया गया है और मूल्य निर्धारण के आधार में पिछले वर्षों की तुलना में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नही किया गया है।

4. निगम ने कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 301 और 370 (1-ग) के अन्तर्गत रखे गये रजिस्टर में दर्ज कम्पनियों, फर्मों या अन्य पार्टियों से कोई प्रतिभूत या अप्रतिभूत कर्ज़ नहीं लिया है।

5. निगम ने केवल अपने कर्मचारियों को ही ऋण के रूप में पेशगी दी हैं। कर्मचारी यथा अनुबंधित मूलधन राशि चुका रहे हैं और ब्याज की अदायगी करने में भी नियमित हैं।

6. निगम ने औजारों, संयंत्र और मशीनरी, उपस्कर और अन्य परिसम्पत्तियों की खरीद के लिए आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली लागू की है। हमारे विचार में इन प्रणालियों को सुदृढ़ बनाने की आवश्यकता है, और इस प्रकार खरीददारी पर सही नियन्त्रण को सुनिश्चित करने के लिए विहित प्रणाली का कड़ाई से पालन किए जाने की आवश्यकता है।

7. उपलब्ध कराई गई सूचना के अनुसार निगम ने किसी ऐसी फर्म या कम्पनी या अन्य पार्टियों, जिसमें किसी निदेशक की दिलचस्पी हो, से 10,000/- रु० से अधिक मूल्य के कोई भण्डार या इतने ही मूल्य के कोई अतिरिक्त पुर्जे या उपस्कर नहीं खरीदे।

8. लोकतक परियोजना में 7.87 लाख रु० राशि के कुछ अव्यवहार्य और क्षतिग्रस्त औजारों की शिनाख्त की गई है लेकिन लेखे में हानि के लिए आवश्यक प्रावधान नहीं किए गए हैं। बैरा स्यूल परियोजना में अव्यवहार्य और क्षतिग्रस्त औजार निर्धारित नहीं किए गए हैं और इसलिए अपेक्षित प्रावधानों के संबंध में कोई विचार व्यक्त नहीं किये जा सकते।

9. निगम ने जन साधारण से कोई डिपाजिट स्वीकार नहीं किए हैं।

10. जैसा कि हमें बताया गया कि बैरा स्यूल परियोजना में विद्युत उत्पादन के समयावधि के दौरान आनुषंगिक उत्पादन या रद्दी टुकड़े नहीं निकले हैं। फिर भी, हमारे विचार से निर्माण प्रक्रिया के दौरान निकले रद्दी टुकड़ों के लिए उचित रिकार्ड नहीं रखा गया है।

11. हमारे विचार से निगम में विद्यमान आन्तरिक लेखा परीक्षा पद्धति निगम के आकार और इसके कार्य की प्रकृति के अनुरूप है और केवल आन्तरिक लेखा परीक्षा के क्षेत्र को फैलाने की आवश्यकता है।

12. केन्द्र सरकार ने अधिनियम, 1956 की धारा 209 (1) (घ) के अन्तर्गग लागत रिकार्डों का रख-रखाव निर्धारित नहीं किया है।

13. निगम देय भविष्य निधि साधारणतया उपयुक्त प्राधिकारियों के पास नियमित रूप से जमा कर रहा है। लोकतक परियोजना के रिकार्ड देखने से पता चला है कि 1-1-1977 से 31-10-1978 तक की अवधि की कटौतियों और इसके बराबर निगम द्वारा देय अंशदान की 1,55,021 रु० की राशि सम्बन्धित प्राधिकारी के पास जमा नहीं की गई है।

कृते आर० के० खन्ना एण्ड कम्पनी
चार्टर्ड एकाऊन्टैंट्स

नई दिल्ली — अनिल के० खन्ना
दिनांक: 23 सितम्बर, 1981 — भागीदार

कम्पनी अधिनियम की धारा 619(4) के अधीन भारत के नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक की टिप्पणियां

मुझे यह कहना है कि कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619 (4) के अधीन नैशनल हाइड्रोइलैक्ट्रिक पावर कारपोरेशन लि०, नई दिल्ली के 31 मार्च, 1981, को समाप्त वर्ष के लेखों की लेखा-परीक्षा रिपोर्ट पर कोई टिप्पणी नहीं करनी है।

हरबंस लाल
सदस्य लेखा परीक्षा बोर्ड
एवं पदेन निदेशक, वाणिज्य लेखा परीक्षा
भोपाल

भोपाल
दिनांक : 24 सितम्बर, 1981

विषय सामग्री मैसर्स मॉडर्न प्रिन्टर्स, सी-22, मॉडल टाऊन, दिल्ली-110009 में मुद्रित ।

Designed by Chaitra Advertising (Pvt.) Ltd. Printed at Nu Tech Photolithographers, Shahadara, Delhi-32.